[2022] 19 एस. सी. आर 42

पटाली मक्कल काठची

वी.

ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस।

(2022 की सिविल अपील संख्या 2600)

31 मार्च, 2022

[एल. नागेश्वर राव और बी. आर. गवई, जे. जे.]

तमिलनाडु निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का विशेष आरक्षण

समुदाय अधिनियम, 2021-तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) राज्य) अधिनियम, 1993-एस. 2 , 3 (क), 4,5 और 7-2021 अधिनियम की वैधता-पिछड़ा वर्ग आरक्षण-शिक्षा में सीटों का आरक्षण

संस्थान-राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण-पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण-20 प्रतिशत आरक्षित सबसे पिछड़े वर्गों (एमबीसी) और गैर-अधिसूचित समुदायों (डीएनसी) के भीतर विशेष आरक्षण के लिए एक अधिनियम (2021 अधिनियम) पारित किया गया।

राज्य विधानसभा द्वारा-विधेयक निजी शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्ति या पदों में आरक्षण-10.5% आरक्षण विशेष रूप से था वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए निर्धारित-2021 अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईं-उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य विधानमंडल के पास 2021 अधिनियम को लागू करने की कोई क्षमता नहीं है और कोई मात्रात्मक डेटा नहीं है-उच्च न्यायालय ने आगे पाया कि केवल जाति के आधार पर किया गया आंतरिक आरक्षण संविधान का उल्लंघन है-अपील पर कहा गयाः 2021 के अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य की विधायी क्षमता पर कोई रोक नहीं है-राज्य सरकार के पास क्षमता है

वन्नियाकुला क्षत्रियों या पिछड़े वर्गों के भीतर किसी अन्य समुदाय या समुदायों के समूह को विशेष उपायों के अनुदान के लिए एक विशेष वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

ऐसे समुदायों को एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के भीतर बाकी समुदायों से अलग वर्ग में वर्गीकृत करने के लिए आधार, जो सतही या भ्रामक नहीं हो सकते हैं

वन्नियाकुला क्षत्रियों की जनसंख्या जैसा कि में गणना की गई है

42 पटाली मक्कल काठची बनाम। ए. माइलरंपेरुमल और

ओआरएस।

1985 में अंबासांकर आयोग की रिपोर्ट, अध्यक्ष

अनुशंसित आंतरिक आरक्षण, अर्थात 10.5 प्रतिशत-आयोग द्वारा किया गया कोई भी अध्ययन वर्तमान स्थिति के संबंध में होना चाहिए।

इसका उद्देश्य किसी विशेष समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान या भविष्य में सकारात्मक कार्रवाई करना है-वन्नियाकुला क्षत्रियों को एक समूह में वर्गीकृत करने का कोई ठोस आधार नहीं था जिसे शेष 115 समुदायों से अलग माना जाए।

एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के भीतर, और इसलिए, 2021 अधिनियम अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन है।

भारतीय संविधान कला। 341 102 दूसरा संशोधन अधिनियम

वर्गों का उप-वर्गीकरण-102 वां संशोधन राज्य को किसी जाति की पहचान एस. ई. बी. सी. के रूप में करने से रोकता है या राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची से किसी समुदाय को शामिल करना या बाहर करना-ई. वी. चिन्नैया की बारीकी से जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय पर यह ठहराने के लिए भरोसा करना गलत था कि पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण इस सूची से परे है।

नौवीं अनुसूची को अनुच्छेद 31-बी के तहत संरक्षण नहीं मिलता है, जब तक कि उक्त संशोधन को नौवीं अनुसूची में भी शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए अनुच्छेद 31-बी राज्य के लिए 1994 के अधिनियम के सहायक मामलों पर क़ानून बनाने में बाधा के रूप में काम नहीं करता है-यह स्पष्ट किया जाता है कि 1994 के अधिनियम में संशोधन करना राज्य के लिए खुला था-साथ ही, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य विधानमंडल के पास अनुच्छेद 31-बी के तहत संरक्षण प्राप्त करने की क्षमता नहीं थी। एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के बीच आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए कानून।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गयाः 1.1 एक ही स्थिति में सभी पर समान कानून लागू करने होंगे और दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

एक व्यक्ति और दूसरा यदि विधान की विषय वस्तु के संबंध में उनकी स्थिति काफी हद तक समान है। इससे वर्गीकरण का सवाल खड़ा होता है। चूँकि समान संरक्षण नियम का कोई उल्लंघन नहीं है, यदि कानून सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करता है

वर्ग, विधायिका को [2022] 19 एस. सी. आर. को वर्गीकृत करने का निस्संदेह अधिकार है।

अलग-अलग स्थित व्यक्तियों के लिए अलग-अलग नियमों को लागू करते हुए, कानून के एक ही नियम के तहत समान। वर्गीकरण कभी नहीं होना चाहिए। मनमाना, कृत्रिम या टालमटोल वाला हो। यह हमेशा वास्तविक और पर्याप्त अंतर पर आधारित होना चाहिए जो उस चीज के साथ एक उचित और न्यायपूर्ण संबंध रखता है जिसके संबंध में वर्गीकरण किया गया है और बिना किसी उचित आधार के वर्गीकरण किया जाना चाहिए।

अमान्य माना जाता है। वर्गीकरण का पूरा सिद्धांत बिना कारण के भेदभाव और तर्क के साथ भेदभाव और इस सर्वविदित तथ्य पर आधारित है कि परिस्थितियाँ जो शासन करती हैं।

व्यक्तियों या वस्तुओं का एक समूह आवश्यक रूप से व्यक्तियों या वस्तुओं के दूसरे समूह को नियंत्रित करने वाले लोगों के समान नहीं हो सकता है ताकि असमान व्यवहार का सवाल वास्तव में विभिन्न स्थितियों और विभिन्न समूहों द्वारा शासित व्यक्तियों के बीच उत्पन्न न हो।

परिस्थितियाँ। [पैरा 71] [93-ई-जी; 94-ए-बी]

1.2 भेदभाव वर्गीकरण का सार है। समानता का उल्लंघन तब होता है जब यह अनुचित आधार पर होती है। समानता की अवधारणा की एक अंतर्निहित सीमा है जो इसकी प्रकृति से उत्पन्न होती है

संवैधानिक गारंटी। जिन लोगों की स्थिति समान है, वे समान व्यवहार के हकदार हैं। समानता समानताओं के बीच है। इसलिए, वर्गीकरण को सारवान आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए।

वे अंतर जो व्यक्तियों को एक साथ समूह में अलग करते हैं

जो समूहों से बाहर रह गए हैं और इस तरह के विभेदक गुणों को प्राप्त करने के लिए वांछित उद्देश्य के साथ एक न्यायपूर्ण और तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। हमारे संविधान का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए स्थिति और अवसर की समानता है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो सामाजिक रूप से सक्षम हैं।

आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े। अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) पिछड़े वर्गों की स्थिति को समानता के योग्य बनाते हैं।

पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए उनके लिए वर्गों और नियुक्तियों और पदों का आरक्षण। इन प्रावधानों का उद्देश्य अनुच्छेद 14,15 (1) और 16 (1) द्वारा गारंटीकृत समानता की सामग्री को सामने लाना है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत समानता की सामग्री अनुच्छेद 14 के तहत समानता से अलग नहीं हो सकती है। भेद जो वर्गीकरण का आधार है, ठोस होना चाहिए और इसका विधान के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए। यदि उद्देश्य स्वयं भेदभावपूर्ण है, तो स्पष्टीकरण दें कि वर्गीकरण तर्कसंगत है जिसमें पट्टाली मक्कल कच्छी v.

ए. माइलरंपेरुमल और

ओआरएस।

2021 के अधिनियम के अधिनियमन में, 116 जातियों को एम. बी. सी. और डी. एन. सी. की संचयी सूचियों में पाया जाना था। एक विशेष जाति का चयन करना और ऐसी जाति के लिए 20 प्रतिशत में से 10.5 प्रतिशत का विशेष आरक्षण प्रदान करना भेदभावपूर्ण है, क्योंकि उन समुदायों से कोई ठोस भेदभाव नहीं है जो समान रूप से स्थित हैं और इसलिए, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक साथ समूहीकृत किए गए थेः 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करना। जबकि राज्य सरकार के पास वन्नियाकुला को वर्गीकृत करने की क्षमता है

क्षत्रिय या पिछड़े वर्गों के भीतर किसी अन्य समुदाय या समुदायों के समूह को विशेष उपायों के अनुदान के लिए एक विशेष वर्ग के रूप में, ऐसे समुदायों को एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के भीतर बाकी समुदायों से अलग वर्ग में वर्गीकृत करने के लिए एक उचित आधार होना चाहिए, जो कि सतही या भ्रामक नहीं हो सकता है। [पैरा 73] [94-एफ-जी; 95-ए-बी]

राज्य की ओर से इसका औचित्य यह है कि तमिलनाडु पिछड़े वर्गों द्वारा पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई थी

आयोग यह दिखाने के लिए कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व था,

वन्नियाकुला क्षत्रियों की आबादी के अनुपात के विपरीत, जिससे 2021 के अधिनियम में समापन हुआ, जिसका उद्देश्य एमबीसी और डीएनसी के बीच आरक्षण का समान वितरण प्राप्त करना था। पहले के अनुच्छेदों में चर्चा के अवलोकन से पता चलता है कि अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का पत्र पुराने आंकड़ों के आधार पर है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। वन्नियाकुला क्षत्रियों के सापेक्ष पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व और एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के भीतर शेष 115 समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता का मूल्यांकन।

इसके अलावा, इसमें सिफारिशें पूरी तरह से जनसंख्या पर आधारित हैं। किसी विशेष वर्ग/श्रेणी को दूसरों से अलग करने के लिए, एक महत्वपूर्ण अंतर होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से उस वर्ग/श्रेणी का सीमांकन करता है। तत्काल मामले में, हम इस बात का कोई औचित्य नहीं देखते हैं कि वन्नियाकुला क्षत्रियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है

एक अलग वर्ग के रूप में और [2022] 19 एस. सी. आर. होने के नाते अधिमान्य उपचार किया गया।

116 समुदायों में से एक, जिन पर विचार किया गया है

2021 के अधिनियम के अधिनियमन तक समान आधार पर और इसलिए, अविभाजित 20 प्रतिशत आरक्षण के लाभ का दावा करने के पात्र थे। इस वर्गीकरण का समर्थन करने के लिए जनसंख्या को एकमात्र कारक के रूप में उद्धृत किया जा रहा है जो इंद्र साहनी और जरनैल सिंह में इस न्यायालय के निर्णयों में है। तदनुसार, इस अदालत का मानना है कि 2021 के अधिनियम के तहत किया जाने वाला वर्गीकरण अनुचित है और इसलिए, 2021 का अधिनियम अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन करता है, क्योंकि वन्नियाकुला क्षत्रियों में अंतर करने और उन्हें अलग करने का कोई ठोस आधार नहीं है

आरक्षण। [पैरा 74] [95-बी-जी]

2021 अधिनियम के अधिनियमन के समय इस क्षेत्र में रहे। जैसा कि 2021 अधिनियम उप-वर्गीकरण और आरक्षण के कुछ प्रतिशत के विभाजन से संबंधित था, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के भीतर समुदायों के आरक्षण की सीमा, यह राज्य सरकार द्वारा शक्ति का एक अनुमेय प्रयोग है।

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 342-ए के तहत। 105 वें संशोधन अधिनियम से पहले, अनुच्छेद 342-ए के तहत राज्य के लिए एस. ई. बी. सी. की राष्ट्रपति की सूची में समुदायों को शामिल या बहिष्कृत करके एस. ई. बी. सी. की पहचान करना निषिद्ध था। यह स्पष्ट है कि 1994 के अधिनियम के अनुसार राज्य द्वारा एम. बी. सी. और डी. एन. सी. की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण पर कोई रोक नहीं है, जिसे इंद्र साहनी में स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया गया है। यहां तक कि ई. वी. चिन्नैया के फैसले पर विचार करते हुए, जो अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से संबंधित था अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति की सूची और यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों का कोई भी उप-विभाजन राष्ट्रपति की सूची के साथ छेड़छाड़ के बराबर होगा, वर्तमान मामले में 2021 अधिनियम को लागू करने की राज्य की क्षमता को इस आधार पर नहीं लिया जाता है क्योंकिः

मान लीजिए, एस. ई. बी. सी. की राष्ट्रपति की सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, जिससे इस तरह की सूची के साथ छेड़छाड़ का सवाल निरर्थक हो जाता है। 1994 के अधिनियम को नौवीं अनुसूची के तहत रखना इस प्रकार काम नहीं कर सकता है - राज्य के लिए पटाली मक्कल काठची v के सहायक मामलों पर कानून बनाने में बाधा।

ए. माइलरंपेरुमल और

ओआरएस।

1994 का अधिनियम। राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता को केवल संविधान में निहित स्पष्ट निषेध द्वारा सीमित किया जा सकता है और अनुच्छेद 31-बी किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं करता है। राज्य की विधायी शक्तियों पर ऐसा स्पष्ट निषेध। समुदायों के लिए आरक्षण की सीमा का विवरण पहले से ही

एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के रूप में पहचाने जाने वाले, जो 2021 के अधिनियम का जोर है, को विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण की सीमा के निर्धारण के रूप में 1994 के अधिनियम के साथ टकराव में नहीं कहा जा सकता है। 1994 के अधिनियम का विषय नहीं था। 1994 का अधिनियम, अनुच्छेद 31-सी के तहत राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद, राज्य विधानमंडल को 1994 के अधिनियम के सहायक मामलों पर राज्यपाल की मंजूरी से कानून बनाने से नहीं रोकता है, क्योंकि अनुच्छेद 31-सी राज्य की विधायी शक्तियों पर कोई बाधा नहीं डालता है। राज्य को आंतरिक अनुमति देने वाले कानून के लिए राष्ट्रपति की सहमति लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

आरक्षण, जब यह संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत कानून के साथ-साथ कार्यकारी आदेशों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और अन्य विशेष उपाय प्रदान करने के लिए सशक्त है। जाति आधारित वर्गीकरण के मुद्दे पर, इंद्र

साहनी ने सटीक और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जाति पिछड़े वर्गों की पहचान करने का प्रारंभिक बिंदु हो सकती है, लेकिन यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। तदनुसार, जबकि आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए जाति प्रारंभिक बिंदु हो सकती है, यह अनिवार्य है राज्य सरकार पर निर्णय की तर्कसंगतता को उचित ठहराने और यह प्रदर्शित करने के लिए कि जाति एकमात्र आधार नहीं है। तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति थानिकाचलम के पत्र के संबंध में, जो 2021 अधिनियम का आधार है, यह पाया गया है कि सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार करने में त्रुटि की है। अंत में, 2021 के अधिनियम में, एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के भीतर शेष 115 समुदायों से अलग व्यवहार करने के लिए वन्नियाकुला क्षत्रियों को एक समूह में वर्गीकृत करने का कोई ठोस आधार नहीं है, और इसलिए, 2021 का अधिनियम अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन है। यह न्यायालय इस पहलू पर उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखता है। 2021 के अधिनियम के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 के अधिकार से बाहर होने के हमारे निष्कर्ष को देखते हुए, इस न्यायालय ने 2021 के अधिनियम के अधिनियमन के समय अनुच्छेद 338-बी के खंड (9) के तहत निर्धारित परामर्श आवश्यकता के साथ राज्य सरकार द्वारा गैर-अनुपालन के मुद्दे पर विचार करने से परहेज किया है। [पैरा 77] [96-जी-एच; 97-ए-एच; 98-ए-एच; 99-ए-डी] [2022] 19 एस।

मद्रास राज्य बनाम। श्रीमती चंपकम दोराईराजन 1951 ए. आई. आर. 226: [1951] एससीआर 525; एस. वी. जोशी बनाम कर्नाटक राज्य (2012) 7 एस. सी. सी. 41; एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) 8 एससीसी 212: [2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. 336; अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008) 6 एससीसी 1: [2008] 4 एस. सी. आर. 1; अब्दुल रहीम इस्माइल सी. रहीमतूला बनाम। बॉम्बे राज्य 1959 ए. आई. आर. 1315: [1960] 1 एस. सी. आर. 285; इब्राहिम वजीर मावत बनाम। बॉम्बे राज्य (1954) एयर 229: [1954] एस. सी. आर. 933; गोदावरी शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम। एस. बी. कांबले (1975) 1 एस. सी. सी. 696: [1975] 3 एस. सी. आर. 885; श्री राम राम नारायण मेधी बनाम। बॉम्बे राज्य (1959) ए. आई. आर. 459: [1959] 1 पूरक एससीआर 489; सज्जन सिंह बनाम। राजस्थान राज्य (1965) आकाशवाणी 845: [1965] 1 एस. सी. आर. 933; रमनलाल गुलाब चंद शाह बनाम। गुजरात राज्य

(1969) एयर 168: [1969] 1 एस. सी. आर. 42; उड़ीसा राज्य बनाम। चंद्रशेखर सिंह भोई (1969) 2 एससीसी 334: [1970] 1 एस. सी. आर. 593; महाराष्ट्र राज्य बनाम माधवराव

दामोदर पाटिल (1968) आकाशवाणी 1395: [1968] 3 एससीआर 712; के. एस. परिपूर्णन बनाम केरल राज्य (1994) 5 एससीसी 593: [1994] 3 पूरक। एस. सी. आर. 405; श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो नगरपालिका (1969) 2 एस. सी. सी. 283: [1970] 1 एस. सी. आर. 358; जनपद सभा छिंदवाड़ा बनाम। मध्य प्रांत सिंडिकेट लिमिटेड (1970) 1 एस. सी. सी. 509: [1970] 3 एससीआर 745; प्लॉट बनाम। 514 यू. एस. 211 (1995); सागीर अहमद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1954) ए. आई. आर. 728: (1955) 1 एससीआर 707; एम. पी. वी. सुंदररामियर

& को. वी. ए. पी. राज्य (1958) ए. आई. आर. 468: [1958] 0 एस. सी. आर. 1422; दीप चंद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1959) एयर ताली मक्कल काठची बनाम।

ए. माइलेरुमपेरुमा

ओआरएस।

648 [1959] 2 पूरक एससीआर 8; पटेल गोरधनदास

हरगोविंदास बनाम। नगर आयुक्त, अहमदाबाद

1963 एयर 1742: [1964] 2 एस. सी. आर. 608; पंजाब राज्य बनाम

देविंदर सिंह (2020) 8 एससीसी 1; के. सी. वसंत कुमार

वी. कर्नाटक राज्य (1988) 4 एस. सी. सी. 590; यूको बैंक बनाम।

दीपक देबबर्मा (2017) 2 एससीसी 585 [2016] 11 एससीआर

723 ; अर्नोल्ड रोड्रिक्स बनाम। महाराष्ट्र राज्य 1966 आकाशवाणी

1788 : [1966] 3 एससीआर 885; राजीव सरीन बनाम। की स्थिति

उत्तराखंड (2011) 8 एस. सी. सी. 708: [2011] 9 एससीआर 1012;

केरल राज्य बनाम। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज

(2009) 8 एससीसी 46: [2009] 11 एस. सी. आर. 142; दत्तात्रेय येदु

थोम्ब्रे वी. महाराष्ट्र राज्य (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन

बम 4408; देउलगांव के नागरिक राजा बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2003) 4 बम सीआर 223: (2002) एससीसी

ऑनलाइन बम 735; रसाल सिंह बनाम। एम. पी. राज्य (1978) एससीसी ऑनलाइन एमपी 12; बेरियम केमिकल्स लिमिटेड बनाम। कंपनी

विधि बोर्ड (1967) ए. आई. आर. 295: [1966] पूरक एस. सी. आर. 311;

ए. पी. बनाम राज्य यू. एस. वी. बलराम (1972) 1 एस. सी. सी 660: [1972] 3 एस. सी. आर. 247; राम सिंह बनाम भारत संघ (2015) 4 एससीसी

497 [2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 357; वी. नारायण राव बनाम

ए. पी. ए. आई. आर. 1987 ए. पी. 53: (1986) 2 आन्ध एल. टी. 258;

चिरनजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ (1951) आकाशवाणी

बिहार (1994) 4 एस. सी. सी. 401; कर्नल ए. एस. अय्यर बनाम वी. बालासुब्रमण्यम (1980) 1 एससीसी 634: [1980] 1 एससीआर

1036 ; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। अनवर अली सरकार (1952)

एयर 75: [1952] एस. सी. आर. 284; काठी रानींग रावत बनाम। राज्य

केरल बनाम। एन. एम. थॉमस (1976) 2 एस. सी. सी 310: [1976] 1 एस. सी. आर. 906; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। निदेशक, केंद्रीय

जांच ब्यूरो (2014) 8 एस. सी. सी. 682: [2014] 6

एससीआर 873; एम. पी. सीमेंट विनिर्माता संघ बनाम

एम. पी. राज्य (2004) 2 एस. सी. सी. 249: [2003] 6 पूरक। एससीआर

557- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

1] एससीआर 525

संदर्भित किया गया है

पैरा

5] 7 पूरक। एससीआर 336

संदर्भित किया गया है

पैरा

बी] 4 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

[1960] 1 एससीआर 285

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2019] 16 एससीआर 886

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

[1954] एससीआर 933

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[1975] 3 एससीआर 885

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1959] 1 पूरक एस. सी. आर. 489

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1965] 1 एससीआर 933

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1969] 1 एससीआर 42

पैरा 21

संदर्भित किया गया है

[1970] 1 एससीआर 593

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1968] 3 एससीआर 712

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1994] 3 पूरक। एससीआर 405

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

[1970] 1 एससीआर 358

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

[1970] 3 एससीआर 745

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

[1964] 2 एससीआर 608

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[2004] 5 पूरक। एससीआर 972

पैरा 32

पीछा किया।

(1955) 1 एससीआर 707

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[1958] 0 एससीआर 1422

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[1959] 2 पूरक एस. सी. आर. 8

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[1992] 2 पूरक एस. सी. आर. 454

पीछा किया।

पैरा 33

[1972] 3 एससीआर 247

संदर्भित किया गया है

पत्र 3

[2016] 11 एससीआर 723

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

[1955] 2 एससीआर 164

पीछा किया।

पैरा 43

[1966] 3 एससीआर 885

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[2011] 9 एससीआर 1012

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[2009] 11 एस. सी. आर. 142

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[1966] पूरक एस. सी. आर. 311

पैरा 56

संदर्भित किया गया है

[2003] 5 पूरक। एससीआर 357

संदर्भित किया गया है

पैरा 65

[1950] एससीआर 869

संदर्भित किया गया है

पैरा 70

[1980] 1 एससीआर 1036

संदर्भित किया गया है

पैरा 70 पट्टाली मक्कल काठची बनाम। ए. माइलरंपेरुमल और

ओआरएस।

[1952] एससीआर 284

संदर्भित किया गया है

पैरा 72

[1952] एससीआर 435

पैरा 72

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2600

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 01.11.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 के डब्ल्यू. पी. सं. 7765 में मदुरै पीठ में मद्रास विश्वविद्यालय से।

के साथ

सिविल अपील सं। 2601 , 2602 , 2603 , 2604 , 2605 , 2606 , 2607 , 2608 ,

2609 , 2610 , 2611 , 2612-2642 2022 तक।

कृष्णमूर्ति, एएजी, अभिषेक मनु सिंघवी, पी. विल्सन, राकेश

द्विवेदी, मुकुल रोहतगी, सी. एस. वैद्यनाथन, एम. एन. राव, राधाकृष्णन, विजय नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वरुण के. चोपड़ा, अमित भंडारी, डी. कुमानन, नमन जोशी, यश जौहरी, शेख एफ. कालिया, गुनीत सिद्धू, सुश्री संसृति पाठक, एस. अगिलेश कुमार, बी. करुणाकरन, के. बालम्बीहाई, अनूप प्रकाश अवस्थी, सुश्री दीक्षा राय, गौतम कुमार, अंकित अग्रवाल, प्रतीक भारद्वाज, सुश्री रागिनी पांडे, एस. थानंजयन, सुश्री जसवंती, सुश्री आइना वर्मा, एम. आर. जोथिमानियन, के. बालू, विनोबा बूपाथी, सुश्री प्रोमिला, सुश्री सी. रुबावती, बालाजी श्रीनिवासन, सुश्री पल्लवी सेनगुप्ता, सुश्री आक अपीलार्थी के लिए।

संजय जैन, ए. एस. जी., आर. बालासुब्रमण्यम, डॉ. राजीव धवन, के.

एम. विजयन, एस. नागमुथु, गोपाल शंकरनारायणन, वी. प्रकाश, जयदीप गुप्ता, कॉलिन गोंजाल्विस, देवदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आर. आनंद, नितिन सरवनन, सुश्री अरुणिमा सिंह, करुणाकर महालिक, सुश्री मनिका प्रिया सरवनन, सुश्री प्रियदर्शिनी, सुश्री रिधिमा मल्होत्रा, पी. वी. योगेश्वरन, आशीष कुमार

उपाध्याय, वाई. लोकेश, वी. सिबी कारगिल, अनुभव चतुर्वेदी, अरुण सिंह, अभिसार ठकराल, एस. गौतम, सुश्री एम.

वेनमणि, जी. वेंकटेश्वरमूर्ति, जी. आनंद सेल्वम, डॉ. राम शंकर, डॉ. शांताकुमारन, एस. विनायक, सुश्री लक्ष्मी राममूर्ति, पारिजात

किशोर, बेनो बेंसिगर, सुश्री एन. पी. हैबिला, डेमा शेषादिरी नायडू, एम. पी. पार्थीबन, ईशान जॉर्ज, अनीश आर. शाह, आर. सुधाकरन, अन्वय आनंदवर्धन, सिद्धार्थ चपलगांवकर, दीपक गोयल, चिनमयी चंद्र, अमरीश कुमार, एम. पी. पार्थीबन, सुश्री शालिनी मिश्रा, सुश्री शिवानी विज, सुश्री पोरकोडी, एस. रामसुब्रमण्यन, ए. एस. वैरावन, सी. रामर, जी. एस. मणि, राजेश मौर्य, अभय सिंह यादव, अजय सिंह, प्रमोद कुमार [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यादव, आर. सतीश, राहुल कौशिक, संजय विसेन, ए. राजाराजन, सुश्री एल. वासुकी राजाराजन, के. परी वेंधन, सुश्री बबीता मिश्रा, सुश्री आदिरा ए. नायर, प्रभु रामसुब्रमण्यन, रघुनाथ सेतुपति, जी.

मुरुगेन्द्रन, करुप्पैया मेयप्पन, सुश्री प्रिया, एस. सेंथिल इलनगोवन, एस. कृष्ण मूर्ति, के. कुमारवादिवेल, राजीव महेश्वरानंद रॉय, निशे राजन शोंकर, सुश्री अनु के. जॉय, अलीम अनवर, शियास के. , सत्य मित्रा, एम. योगेश कन्ना, राजराजेश्वरन एस., पी. एम. विष्णु वर्धनान, आर. विग्नेश, प्रदीप फणीराज एडवस। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एल. नागेश्वर राव, जे.

छुट्टी दे दी गई।

1. निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का तमिलनाडु विशेष आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण

सबसे पिछड़े वर्ग और विमुक्त समुदाय अधिनियम, 2021 को मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै पीठ द्वारा दिनांक 01.11.2021 के एक फैसले द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था। इन अपीलों में उक्त निर्णय की शुद्धता को चुनौती दी गई है।

I. पृष्ठभूमि

इस न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप, मद्रास राज्य द्वारा 20-बिंदु रोस्टर को अपनाते हुए जी. ओ. सुश्री संख्या 2432 दिनांकित 27.09.1951 जारी किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तीन सीटें और पिछड़े वर्गों के लिए पांच सीटें आरक्षित हैं, जो 15 प्रतिशत आरक्षण के बराबर है

1 1951 एस. सी. आर. 525 पट्टाली मक्कल काठची बनाम। ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक साथ 25 प्रतिशत

3. राज्य सरकार ने जी. ओ. सुश्री संख्या 842 द्वारा श्री ए. एन. सत्तनाथन की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया। "राज्य में पिछड़े वर्गों की स्थितियों की वैज्ञानिक और तथ्यात्मक जांच करने और उनकी प्रगति के लिए राहत के विशिष्ट उपायों की सिफारिश करने के लिए"। आयोग ने नवंबर, 1970 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्य सरकार के तहत पिछड़े वर्गों के साथ-साथ पेशेवर और शैक्षणिक संस्थानों में 33 प्रतिशत पदों के आरक्षण की सिफारिश की गई थी। उक्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार ने जी. ओ. सुश्री संख्या 695 दिनांक 1 द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया।

सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 16 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक

सरकारी, स्थानीय निकाय और सहायता प्राप्त प्रबंधन और सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के लिए पद। आई. डी. 1 पर, राज्य सरकार के तहत सेवाओं में पदों पर नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था। 4. बाद में, तमिलनाडु द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सरकार द्वारा 13.12.1982 पर नियुक्त किया गया था। उक्त आयोग की अध्यक्षता श्री जे. ए. अंबासांकर, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त) ने की थी। आयोग द्वारा सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के विभिन्न संकेतकों के आधार पर पिछड़ेपन के स्तर को निर्धारित करने के लिए एक अध्ययन किया गया था, जिसमें प्रत्येक समुदाय को कुल 15 अंकों से अंक दिए गए थे। सभापति के अनुसार, ऐसे समुदायों को समूहबद्ध किया जाना चाहिए जिन्होंने 8,9 और 10 अंक प्राप्त किए हैं।

'ए' के रूप में, 11,12 और 13 अंकों वाले को समूह 'बी' में रखा जाना चाहिए और 14 और 15 अंकों वाले को समूह 'सी' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। द.

आयोग के अध्यक्ष ने विभिन्न समूहों के आधार पर विभागीय आरक्षण की सिफारिश की और [2022] 19 एस. सी. आर. के लिए तंत्र प्रदान किया।

उसी का कार्यान्वयन। 14 आयोग के सदस्य अलग-अलग थे तमिलनाडु द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से।

5. 30.07.1985 पर, राज्य सरकार ने पूरे देश में 201 समुदायों को पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित करते हुए जी. ओ. सुश्री संख्या 1564 जारी की।

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु राज्य। जाओ। सुश्री नं. 1566 और 1567 को भी जारी किया गया था

उसी दिन, 39 समुदायों को 'सबसे पिछड़े वर्गों' के रूप में वर्गीकृत किया गया

(एम. बी. सी.) और 68 समुदायों को क्रमशः 'विमुक्त समुदाय' (डी. एन. सी.) के रूप में। वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय को एसएल में रखा गया था। नहीं। 26 एम. बी. सी. की सूची में। आई. डी. 1 पर, पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध 50 प्रतिशत में से 20 प्रतिशत का अलग आरक्षण एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के लिए प्रदान किया गया था और शेष 30 प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए अलग रखा गया था। बाद में, 22.06.1990 पर, अनुसूचित जनजातियों को सार्वजनिक सेवाओं में एक प्रतिशत अलग आरक्षण प्रदान किया गया और

शैक्षणिक संस्थान। इस प्रकार, 1990 से, पिछड़े वर्गों के लिए 30 प्रतिशत, एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के लिए 20 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था, जो कुल 69 प्रतिशत था।

6. 1994 का अधिनियम सं. 45, अर्थात, तमिलनाडु पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (1994 में सीटों का आरक्षण)

शैक्षणिक संस्थान और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियां या पद) अधिनियम, 1993 (इसके बाद, "1994 अधिनियम") राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। पीछे की ओर नागरिकों के वर्गों को उनकी धारा 3 (ए) के तहत "उन नागरिकों के वर्ग या वर्गों के रूप में परिभाषित किया गया है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जैसा कि सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है, और इसमें सबसे पिछड़े वर्ग और विमुक्त समुदाय शामिल हैं"। धारा 4 में प्रावधान है कि 'नागरिकों के पिछड़े वर्गों' और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में वार्षिक अनुमत संख्या के संबंध में आरक्षण।

नागरिकों के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए। पिछड़े वर्गों, एम. बी. सी. और डी. एन. सी., अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत का आवंटन बना रहा। अपरिवर्तित। इसके अतिरिक्त, 1994 के अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, सरकारी पटाली मक्कल काठची बनाम।

ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

अधिसूचना द्वारा 'पिछड़े' को वर्गीकृत या उप-वर्गीकृत करने की आरक्षित शक्ति 1994 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्टों के आधार पर गठित नागरिकों के वर्ग

15.03.1993 पर। तमिलनाडु सरकार ने 1994 के अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत जी. ओ. सुश्री संख्या 28 द्वारा <आई. डी. 1 पर 143 समुदायों को पिछड़ा वर्ग, 41 समुदायों को एम. बी. सी. और 68 समुदायों को इस रूप में अधिसूचित कियाः

डी. एन. सी. संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा, जिसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, 1994 के अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में प्रविष्टि 257-ए के रूप में रखा गया था। 7. 1994 के अधिनियम की वैधता को इस न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। उक्त रिट याचिकाओं का निपटारा इस न्यायालय द्वारा एस. वी. जोशी बनाम आई. डी. 1 पर किया गया था। कर्नाटक राज्य 2, इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि 1994 के अधिनियम के तहत आरक्षण को सही ठहराने के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने का अभ्यास, एम. नागराज बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार। भारत संघ 3 और अशोक कुमार ठाकुर

वी. भारत संघ का गठन नहीं किया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकार को तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष मात्रात्मक आंकड़े रखने का निर्देश दिया गया था, जिसके आधार पर अन्य बातों में, आयोग आरक्षण की मात्रा तय करेगा। 1994 के अधिनियम की वैधता पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई थी। एस. वी. जोशी (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप, जी. ओ. सुश्री संख्या 50 दिनांक 11.07.2011 द्वारा, तमिलनाडु सरकार ने 1994 के अधिनियम में प्रदान किए गए 69 प्रतिशत के आरक्षण को लागू करना जारी रखने का निर्णय लिया। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट 08.07.2011 पर सरकार को प्रस्तुत की गई थी और बाद में मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई थी, जो इस बारे में संतुष्ट थी

69 प्रतिशत आरक्षण जारी रखने का औचित्य।

8. इसके बाद, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 1994 के अधिनियम को चुनौती देते हुए 2012 की रिट याचिका दायर की गई, जो अभी तक लंबित है।

इस न्यायालय के समक्ष विचार। 21.03.2012 पर, जी. ओ. (सुश्री) संख्या 35, सरकार ने तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए संदर्भ की अतिरिक्त शर्तें निर्धारित कीं, जिसमें आयोग से अनुरोध किया गया कि वह एम. बी. सी. और डी. एन. सी. को प्रदान किए गए आरक्षण के भीतर आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न समुदायों द्वारा की गई मांग की जांच और सिफारिश करे। उक्त जी. ओ. में एक रिट याचिका का संदर्भ है।

2 (2012) 7 एससीसी 41

3 (2006) 8 एससीसी 212

4 (2008) 6 एससीसी 1 [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने के साथ-साथ वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय के सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अभ्यावेदन

एमबीसी और डीएनसी के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण के भीतर इन समुदायों में से प्रत्येक के लिए आंतरिक आरक्षण की मांग करने वाले समुदाय। 13.06.2012 पर, तमिलनाडु पिछड़े वर्गों द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. एस. जनार्दनम (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में आयोग। सभापति ने वन्नियाकुला क्षत्रियों के लिए 10.5 प्रतिशत के आंतरिक आरक्षण की सिफारिश की, जिसमें आयोग के शेष छह सदस्यों ने एक असहमति नोट प्रस्तुत किया।

9. तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग का जी. ओ. द्वारा पुनर्गठन किया गया था। (एमएस) संख्या 52 दिनांक 08.07.2020 और मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. थानीकाचलम (सेवानिवृत्त) को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। पिछड़े वर्ग आयोग को निर्धारित संदर्भ शर्तों में से एक एम. बी. सी. के लिए प्रदान किए गए आरक्षण के भीतर आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न समुदायों द्वारा की गई मांग की जांच और सिफारिश करना था। इसके अलावा, एक और

आयोग का गठन जी. ओ. (एम. एस.) संख्या 99 दिनांक 21.12.2020, जाति-वार मात्रात्मक आंकड़ों के संग्रह के उद्देश्य से और मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए. कुलसेकरन (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में। सरकार ने माना कि अंबासांकर आयोग द्वारा एकत्र किया गया जाति-वार डेटा तीन दशक से अधिक पुराना था और "आज की तारीख तक" जाति और जनजाति-वार डेटा एकत्र करने की तत्काल आवश्यकता थी। उक्त जी. ओ. में कहा गया था कि आयोग का गठन किया गया था

विभिन्न राजनीतिक दलों और सामुदायिक संगठनों की मांगों पर प्रतिक्रिया।

वर्ग आयोग, उन्हें उपलब्ध कराए गए 20 प्रतिशत आरक्षण के भीतर एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के रूप में सूचीबद्ध समुदायों के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने की संभावना के बारे में अपनी राय देगा। न्यायमूर्ति एम. थानिकाचलम ने तुरंत 22.02.2021 पर जवाब दिया, एम. बी. सी. और डी. एन. सी. आधारित उप-वर्गीकरण की सिफारिश करना।

उनकी जनसंख्या के अनुपात में। इसके तुरंत बाद, एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत के भीतर विशेष आरक्षण के लिए एक विधेयक राज्य विधानसभा के समक्ष रखा गया। उसी दिन, विधेयक पारित किया गया और इसे मंजूरी मिल गई राज्यपाल 26.02.2021 पर। 2021 के अधिनियम द्वारा, निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण, और पट्टाली मकाल काठची v.

ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति या पदों में आरक्षण निम्नलिखित तरीके से प्रदान किया गया था: 'पार्ट-एमबीसी (वी) समुदायों' के लिए साढ़े दस प्रतिशत, 'पार्ट-एमबीसी और डीएनसी' के लिए सात प्रतिशत।

समुदाय 'और' पार्ट-एम. बी. सी. समुदाय 'के लिए ढाई प्रतिशत। 2021 के अधिनियम में संलग्न अनुसूची के संदर्भ में, 'भाग-एमबीसी (वी)' में वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय (वन्नियार, वन्निया, वन्निया गौंडर, गौंडर या कंदर, पदयाची, पल्ली और अग्निकुला क्षत्रिय सहित), 'भाग-एमबीसी और डीएनसी' में एमबीसी और 68 डीएनसी के 25 समुदाय शामिल हैं और एमबीसी के शेष 22 समुदाय 'भाग-एमबीसी' की श्रेणी में आते हैं।

11. 2021 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर आरोप लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। उच्च न्यायालय ने तय किया कि

विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु:

" (i) क्या राज्य विधानमंडल के पास 102 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के बाद और 105 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 से पहले विवादित अधिनियम बनाने की क्षमता है?

((ii) क्या भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत रखे गए किसी अधिनियम में उक्त संशोधन किए बिना बदलाव किया जा सकता है।

एक्ट?

(iii) क्या राज्य सरकार के पास संवैधानिक प्रावधानों, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 338-बी के तहत पिछड़े वर्गों के संबंध में कोई निर्णय लेने की शक्ति थी। भारत का संविधान?

((iv) क्या राज्य के पास जाति के आधार पर आरक्षण देने की शक्ति है? (v) क्या बिना किसी प्रावधान के आरक्षण प्रदान किया जा सकता है।

जनसंख्या, सामाजिक शैक्षिक स्थिति पर मात्रात्मक आँकड़े और

सेवाओं में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व? (vi) क्या किसी भी मात्रात्मक डेटा के बिना, एम. बी. सी. (वी) को 10.5% का आरक्षण प्रदान करने वाला विवादित अधिनियम, का उल्लंघन है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16?

(vii) क्या एम. बी. सी. का उप-वर्गीकरण तीन में किया गया है।

श्रेणियां केवल पर्याप्त जनसंख्या के आधार पर की जा सकती हैं।

डेटा, किसी भी वस्तुनिष्ठ मानदंड के अभाव में?

12. उच्च न्यायालय ने (i) से (iii) तक के बिंदुओं का जवाब देते हुए कहा कि राज्य विधानमंडल के पास 2021 अधिनियम को लागू करने की कोई क्षमता नहीं है।

अदालत ने आगे पाया कि केवल जाति के आधार पर दिया गया आंतरिक आरक्षण संविधान का उल्लंघन है। उत्तर देने वाले बिंदु (v) से (vii), उच्च न्यायालय की राय थी कि जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जनसंख्या के प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई मात्रात्मक डेटा नहीं था।

सेवाओं में पिछड़े वर्ग। अंत में, ऐसे निष्कर्षों के आधार पर, 2021 के अधिनियम को संविधान के प्रावधानों से परे घोषित किया गया।

13. हमने डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, श्री पी. विल्सन, श्री राकेश द्विवेदी, श्री मुकुल रोहतगी, श्री सी. एस. वैद्यनाथन, श्री पी.

अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एम. एन. राव और श्री राधाकृष्णन और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन, श्री आर. बालासुब्रमण्यम, श्री के. एम. विजयन, श्री एस. नागमुथु, श्री गोपाल शंकरनारायणन, श्री वी. प्रकाश, श्री जयदीप गुप्ता और श्री कॉलिन गोंजाल्विस उपस्थित हुए।

II. एक बड़ी बेंच का संदर्भ

14. प्रारम्भ में, राज्य की ओर से उपस्थित कुछ वरिष्ठ वकीलों द्वारा की गई प्रारंभिक प्रस्तुति से निपटना आवश्यक है। इन अपीलों को संविधान पीठ को भेजने के लिए तमिलनाडु।

15. तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक सिंघवी, श्री राकेश द्विवेदी और श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या शामिल है और इसलिए, यह उचित है कि इन अपीलों की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जाए। श्री पी. विल्सन, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री सी. एस. वैद्यनाथन और श्री एम. एन. राव, सिविल अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

क्रमशः 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 19378 और 2021 की एसएलपी (सी) संख्या 19574 ने कहा कि इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। 16. डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि 1994 के अधिनियम को चुनौती इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने आगे कहा कि

कि इन अपीलों में विवाद के निर्णय में संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 (इसके बाद, "105 वां संशोधन अधिनियम") की व्याख्या शामिल होगी। डॉ. सिंघवी के अनुसार, इस न्यायालय को यह तय करना होगा कि क्या 105 वां संशोधन अधिनियम स्पष्टीकरणात्मक है और इसकी शुरुआत से पहले का है

अनुच्छेद 342-ए। यह सलाह दी जाती है कि उक्त मुद्दे का निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा किया जाए। श्री द्विवेदी ने डॉ. सिंघवी की प्रस्तुतियों के पूरक के रूप में, पट्टाली मक्कल कच्छी बनाम को लागू करने में राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की कमी पर विवादित फैसले में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का उल्लेख किया।

ए. माइलरंपेरुमल एंड ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

संविधान की धारा 31-बी के संबंध में 2021 अधिनियम। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 31-बी में दिखाई देने वाले "निरसन या संशोधन" शब्दों का अर्थ इस न्यायालय द्वारा इन अपीलों में एक निर्णायक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए लगाया जाना चाहिए। इस आधार पर, उन्होंने इन अपीलों पर एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लेने का आग्रह किया।

17. उत्तरदाताओं की ओर से पेश होते हुए डॉ. राजीव धवन और श्री गोपाल शंकरनारायणन ने जोरदार तर्क दिया कि कोई आधार नहीं है।

इन अपीलों को एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए तैयार किया गया है। डॉ. धवन ने तर्क दिया कि इन अपीलों में विवाद के निर्णय में संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या शामिल नहीं है। श्री शंकरनारायणन ने कहा कि संविधान पीठ को निर्देश केवल तभी दिया जाता है जब न्यायालय का समाधान हो कि संविधान की व्याख्या के बारे में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जिसका निर्धारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है। उन्होंने अब्दुल रहीम इस्माइल सी. रहीमतूला बनाम में इस न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा किया। बॉम्बे राज्य 3 और श्रीमंत बालासाहेब पाटिल बनाम। अध्यक्ष, कर्नाटक विधान सभा। चूंकि वर्तमान मामले में दोनों उल्लिखित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बॉम्बे राज्य ', इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विवादित का प्रश्न अनुच्छेद 19 (1) (डी) और 19 (1) (ई) का उल्लंघन करने वाले प्रावधान और नियम पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि

कानून का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या पर उत्पन्न होता है। इसलिए, संदर्भ के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

संविधान की व्याख्या के बारे में कानून का कोई ठोस सवाल नहीं था, जिसका निर्धारण निपटान के लिए आवश्यक था। मामले से। इस न्यायालय की राय थी कि पर्याप्त का अस्तित्व

5 (1960) 1 एससीआर 285 6 (2020) 2 एस. सी. सी. 595

कानून का सवाल मामले में शामिल दांव पर नहीं पड़ता है, बल्कि यह इस बात से निर्धारित होता है कि सवाल का मामले के अंतिम निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

20. संविधान के अनुच्छेद 145 (3) में प्रावधान है कि कोई भी मामला

संविधान की व्याख्या के बारे में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को कम से कम पाँच न्यायाधीशों द्वारा सुना जाना चाहिए। हालाँकि, हम डॉ. सिंघवी के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि क्या 105 वां संशोधन अधिनियम स्पष्टीकरणात्मक है, इस प्रश्न में 105 वें संशोधन अधिनियम की व्याख्या शामिल है। संसदीय बहसों पर भरोसा करते हुए डॉ. सिंघवी ने कहा कि यह संशोधन केवल संविधान (एक सौ दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 को स्पष्ट करने के उद्देश्य से लाया गया है और इसलिए 105 वां संशोधन अधिनियम को लागू माना जाना चाहिए। 15.08.2018 , अर्थात, जिस तारीख से अनुच्छेद 342-ए को प्रभावी किया गया था। उक्त संशोधन की पूर्वव्यापीता के संबंध में डॉ. सिंघवी द्वारा उठाए गए प्रश्न पर निर्णय लेने के उद्देश्य से 105 वें संशोधन अधिनियम की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

21. विचार करने के लिए दूसरा बिंदु श्री द्विवेदी द्वारा अनुच्छेद 31-बी की व्याख्या के प्रश्न पर प्रस्तुत किया गया है।

संविधान। उनका निवेदन है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि तमिलनाडु राज्य के पास कानून बनाने की विधायी क्षमता नहीं है।

1994 के अधिनियम के प्रावधानों को अलग करने वाला अलग कानून, जिसे नौवीं अनुसूची में रखा गया है, इस आधार पर कि यह संविधान के अनुच्छेद 31-बी के खिलाफ है। श्री द्विवेदी का निवेदन है कि अनुच्छेद 31-बी में "निरसन या संशोधन" शब्दों की व्याख्या यह निर्धारित करने के लिए की जानी चाहिए कि क्या उक्त संवैधानिक प्रावधान के आधार पर, राज्य में समान या सहायक विषय पर सुई जेनरिस कानून बनाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है।

काम्बलेस, श्री राम राम नारायण मेधी बनाम। बॉम्बे राज्य, सज्जन सिंह बनाम। राजस्थान राज्य ", रमनलाल गुलाब चंद शाह बनाम। गुजरात राज्य 1 1, उड़ीसा राज्य v. चंद्रशेखर सिंह भोई 1 2 और महाराष्ट्र राज्य बनाम। माधवराव दामोदर पाटिल "। इसे ध्यान में रखते हुए 8 (1975) 1 एस. सी. सी. 696

9 1959 सप्लीमेंट (1) एससीआर 489 10 (1965) 1 एससीआर 933

11 (1969) 1 एससीआर 42

12 (1969) 2 एस. सी. सी. 334

13 (1968) 3 एस. सी. आर. 712 पटाली मक्कल काठची बनाम। ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

उपरोक्त निर्णय, जिन पर बाद में चर्चा की गई है, इस न्यायालय के लिए इन अपीलों को एक बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

III. राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता

2021 अधिनियम का अधिनियमन

A. संविधान का प्रभाव (एक सौ सेकंड)

संशोधन) अधिनियम, 2018 और संविधान (एक सौ पाँचवाँ संशोधन) अधिनियम, 2021

22. विवादित 2021 अधिनियम 26.02.2021 पर पारित किया गया था। संविधान द्वारा प्रस्तुत संविधान के प्रासंगिक प्रावधान (एक

एक सौ दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 (इसके बाद, "102 वां संशोधन अधिनियम"), जो 15.08.2018 से प्रभावी हुआ, और 105 वें संशोधन अधिनियम (इटैलिसाइज्ड) द्वारा संशोधित किया गया, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी 15.09.2021 अधिसूचना के संदर्भ में 15.08.2021 से लागू हुआ, नीचे दिए गए अनुसार हैः

अनुच्छेद 338-बी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।

(1) सामाजिक और शैक्षिक रूप से एक आयोग होगा

पिछड़े वर्गों को राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाएगा

पिछड़े वर्ग।

XXX

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी। शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग।

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी लागू नहीं होगा

अनुच्छेद 342 क के खंड (3) के प्रयोजन।

(1) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से केंद्रीय सूची में पिछड़े वर्ग जो

केंद्र सरकार के उद्देश्यों को सामाजिक रूप से माना जाए

और उस राज्य के संबंध में शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या

केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो।
(2) संसद कानून द्वारा खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से [2022] 19 एस. सी. आर. को शामिल या बाहर कर सकती है।

पिछड़े वर्ग, लेकिन उपरोक्त के अलावा उक्त खंड के तहत जारी एक अधिसूचना किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण। खंड (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए, "केंद्रीय सूची" पद का अर्थ है सामाजिक और

द्वारा तैयार और अनुरक्षित शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

और केंद्र सरकार के लिए।

(3) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी और (2) , प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कानून द्वारा तैयार कर सकता है और

अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिनमें प्रविष्टियाँ हो सकती हैं

केंद्रीय सूची से अलग।

अनुच्छेद 366। परिभाषाएँ।

XXX

(26(ग) "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग" से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जो केंद्र सरकार या राज्य के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 क के तहत इस प्रकार माने जाते हैं या

केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो।

23. उच्च न्यायालय ने कहा कि डॉ. जैश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मामले में इस न्यायालय की बहुमत राय है। मुख्यमंत्री 1 4 ने समापन किया कि पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्य विधानमंडलों की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एस. ई. बी. सी.) की सूची में संशोधन करने की शक्ति 102 वीं धारा द्वारा संविधान में अनुच्छेद 342-ए को शामिल करने के बाद संसद में निहित हो गई है।

संशोधन अधिनियम। उच्च न्यायालय ने राज्य की ओर से इस तर्क को खारिज कर दिया कि 105 वां संशोधन अधिनियम पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्ति को बहाल करता है। उच्च न्यायालय का विचार था कि 2021 का अधिनियम 26.02.2021 पर अस्तित्व में आया, जबकि 105 वां संशोधन अधिनियम 19.08.2021 पर अधिनियमित किया गया था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के अनुसार, विवादित कानून, जिसे 105 वें संशोधन अधिनियम के अधिनियमन से पहले लागू किया गया था, डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (उपरोक्त) में बहुमत की राय को देखते हुए असंवैधानिक था।

24. डॉ. सिंघवी ने राज्य की ओर से तर्क दिया कि 2021 का अधिनियम किसी भी समुदाय की पहचान, बहिष्कार या समावेश नहीं करता है। पिछड़े वर्गों की सूची से संबंध। उक्त अभ्यास 1994 के

अधिनियम के तहत जी. ओ. सुश्री संख्या 28 दिनांक 19.07.1994 द्वारा पहले ही किया जा चुका था। क्या है?

14 (2021) 8 एस. सी. सी. 1 पट्टाली मक्कल कच्छी बनाम। ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

डी. एन. सी., जो 102 वें संशोधन अधिनियम के आधार पर राज्य द्वारा किए जाने के लिए वर्जित नहीं हैं। हालाँकि 1994 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका विचाराधीन है, लेकिन उक्त कानून के संचालन पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 105 वां संशोधन अधिनियम अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है। डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद, संसद ने अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 338-बी, 342-ए और 366 (26 सी) के स्पष्टीकरण की आसन्न आवश्यकता को स्वीकार किया और डॉ. सिंघवी के अनुसार, इन प्रावधानों के पीछे हमेशा क्या इरादा था, यानी राज्यों के लिए राज्यों के तहत शैक्षणिक संस्थानों और सेवाओं में आरक्षण के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति को जारी रखने और प्रयोग करने के लिए संशोधन करने की मांग की। इस दावे पर जोर देने के लिए डॉ. सिंघवी ने 105 वें संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ-साथ संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) पर संसद के दोनों सदनों में कुछ बहसों और भाषणों के माध्यम से न्यायालय का रुख किया। बिल, 2021। उन्होंने आगे इस न्यायालय पर यह प्रभाव डालने का प्रयास किया कि 105 वें संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया एकमात्र वास्तविक और प्रभावी परिवर्तन अनुच्छेद 342-ए में खंड (3) को जोड़ना है, जो अनिवार्य रूप से एक प्रक्रियात्मक है।

किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए एस. ई. बी. सी. की सूची तैयार करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है। उन्होंने के. एस. परिपूर्णन बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। केरल राज्य का यह कहना कि 105 वां संशोधन अधिनियम, मुख्य रूप से प्रक्रिया से संबंधित एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन है, न कि एक मूल संशोधन, का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। इसके अलावा, श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन मांगा गया था। ब्रोच बरो नगरपालिका 1 6 याचिका दायर करने के लिए

यह कि निस्संदेह संसद के पास 102 वें संविधान संशोधन अधिनियम और 105 वें संविधान संशोधन अधिनियम दोनों को अधिनियमित करने की शक्ति थी, लेकिन बाद वाले ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने की मांग की जिन्होंने पूर्व की अदालत की व्याख्या को जन्म दिया और इस प्रकार, पूर्वव्यापी होगा।

25. वैकल्पिक रूप में, श्री द्विवेदी ने तर्क दिया कि डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले में केवल

102 वें संशोधन अधिनियम के तहत राज्यों द्वारा एस. ई. बी. सी. का विनिर्देशन।

15 (1994) 5 एससीसी 593 16 (1969) 2 एससीसी 283 [2022] 19 एस. सी. आर.

यदि किसी समुदाय को पहले से ही राज्य की एस. ई. बी. सी. की सूची में शामिल किया गया था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा सूची की अधिसूचना तक अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निर्णय द्वारा बचाया गया था, तो राज्य पर उप-वर्गीकरण का प्रावधान करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। 26. श्री शंकरनारायणन द्वारा उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि राज्य के पास 2021 के अधिनियम के लागू होने की तारीख 26.02.2021 पर एस. ई. बी. सी. की पहचान करने की विधायी क्षमता नहीं थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 102 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 26.02.2021 पर लागू था, जिसके अनुसार एस. ई. बी. सी. को केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है, डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (ऊपर) में इस न्यायालय की बहुमत राय के अनुसार। वह.

उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया और तर्क दिया कि राज्य

एम. बी. सी. के भीतर 10.5 प्रतिशत आरक्षण आवंटित करने के लिए एक विशेष समुदाय की पहचान करने के लिए विधायी क्षमता का अभाव था। 105 वें संशोधन अधिनियम के विषय पर यह तर्क दिया गया कि उक्त संशोधन निर्विवाद रूप से संभावित है। जहाँ भी इसका इरादा था संसद द्वारा संवैधानिक संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए, प्रासंगिक संशोधन में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। हमारा ध्यान संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 की ओर आकर्षित किया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 19 (2) में परिवर्तनों को संविधान के प्रारंभ की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था और अनुच्छेद 31-बी को एक मान्य प्रावधान के साथ जोड़ा गया था, जिससे यह ऐसी तारीख से पहले किए गए सभी कानूनों में संशोधन की तारीख से पहले लागू हो जाता है और किसी भी निर्णय के बावजूद। हमें अनुच्छेद 329-ए के बारे में भी निर्देश दिया गया था, जिसमें संविधान (उनतीसवां) संशोधन अधिनियम, 1975 से पहले बनाए गए कानूनों को निर्दिष्ट चुनावों पर लागू करने की छूट दी गई थी और ऐसे चुनावों को भी मान्य किया गया था, जिन्हें कानून या किसी भी अदालत द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के तहत अमान्य घोषित किया गया था। अंत में, संविधान (85 वां संशोधन) अधिनियम, 2001 का उल्लेख किया गया।

जिसके द्वारा अनुच्छेद 16 (4-ए) में परिवर्तनों को 17.06.1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि, उद्धृत उदाहरणों के विपरीत, 105 वें संशोधन अधिनियम में थोड़ा भी संकेत नहीं है कि इसका उद्देश्य पूर्वव्यापी होना था। 27. 105 वें संशोधन अधिनियम के स्पष्टीकरणकारी होने के बारे में अपीलकर्ताओं की ओर से की गई दलीलों का विरोध करते हुए, श्री शंकरनारायणन ने आगे तर्क दिया कि इस न्यायालय के फैसले को संसद द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय अंतिम मध्यस्थ है।

उन्होंने जनपद पट्टाली मक्कल कच्छी बनाम का हवाला दिया। ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

सभा छिंदवाड़ा बनाम। सेंट्रल प्रोविंस सिंडिकेट लिमिटेड "और प्लॉट बनाम में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय। इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त कानून की व्याख्या को 'स्पष्ट' करने की विधानमंडल की शक्ति पर सीमाओं के बारे में विस्तार से बताने के लिए, अन्य बातों के अलावा, स्पेंडथ्रिफ्ट फार्म इंक. उन्होंने आगे कहा कि 105 वें संशोधन अधिनियम को एक मान्य प्रावधान नहीं माना जा सकता है, क्योंकि 102 वें संशोधन अधिनियम को कोई 'अमान्य' नहीं किया गया है। 102 वें संशोधन अधिनियम के बल धारण करने के साथ

2021 के अधिनियम के अधिनियमन के समय, उन्होंने जोर देकर कहा कि एक समुदाय के लिए 10.5 प्रतिशत निर्धारित करना आरक्षण के लाभ के लिए एक समुदाय की पहचान करने के समान है, जो 102 वें संशोधन अधिनियम के अनुसार केवल राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है और इसलिए, 2021 का अधिनियम राज्य विधानमंडल की ओर से एक अस्वीकार्य अभ्यास है। उन्होंने अपने तर्क में जोर देकर कहा कि एक कानून जो शुरुआत से ही अभाव के कारण अमान्य है।

विधायी क्षमता को बाद के द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता है।

संशोधन किया और सागीर अहमद बनाम पर निर्भरता रखी। स्टेट ऑफ यू. पी. ", एम. पी. वी. सुंदररामियर एंड कंपनी बनाम। A.P.20 और दीप चंद बनाम की स्थिति। उत्तर प्रदेश राज्य 2 1. डॉ. धवन, श्री शंकरनारायणन के साथ यह कहते हुए कि 105 वां संशोधन अधिनियम लागू होने की संभावना है, अपीलार्थियों के दावे का विरोध करते हुए कहा कि 105 वां संशोधन अधिनियम स्पष्टीकरणात्मक है और साथ ही डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के आधार को विरोधाभासी के रूप में हटा दिया गया है।

डॉ. धवन के अनुसार, यह संशोधन या तो संसद के इरादे को स्पष्ट कर सकता है या इस न्यायालय के फैसले के आधार को हटाने का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं।

स्पष्टीकरणात्मक और अनुच्छेद 342-ए की शुरुआत से संबंधित है। द. उत्तरदाताओं का यह कहना सही था कि संसद ने किसी संशोधन की पूर्वव्यापी प्रभाव को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया था, जब भी वह कोई संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव देने का इरादा रखती थी। इस प्रकार हम संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 पर उद्देश्यों और कारणों के विवरण और संसदीय बहसों की जांच करने का इरादा नहीं रखते हैं, क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है और डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल में बहुमत के निर्णय में भी दोहराया गया है कि

17 (1970) 1 एससीसी 509

18 514 अमेरिका 211 (1995) 19 (1955) 1 एससीआर 707

20 1958 एससीआर 1422

21 1959 पूरक (2) एससीआर 8 [2022] 19 एससीआर।

किसी क़ानून के बारे में अस्पष्टता है, पहला प्रयास क़ानून में ही अर्थ खोजने का होना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अदालत बाहरी सहायता की ओर रुख कर सकती है। हमें 105 वें संशोधन अधिनियम की व्याख्या करने के लिए नहीं कहा गया है और न ही हमें 105 वें संशोधन अधिनियम के संबंध में कोई अस्पष्टता मिलती है लागू हो गया है। 105 वें संशोधन अधिनियम को एक मान्य संशोधन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा 102 वें संशोधन अधिनियम को अमान्य नहीं किया गया है। हम उत्तरदाताओं द्वारा उद्धृत निर्णयों की अनिवार्यता पर विचार करना आवश्यक नहीं पाते हैं।

संसद द्वारा इस न्यायालय के निर्णय का स्पष्टीकरण, क्योंकि अपीलार्थी भी यह तर्क नहीं देते हैं कि 105 वां संशोधन अधिनियम डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय को स्पष्ट करने के लिए बनाया गया था।

29. नियम 350-ब्रोच बरो द्वारा बनाए गए नियमों में से ए

नगरपालिका, जिसके द्वारा भूमि पर दर पूंजी मूल्य के आधार पर मूल्यांकन के प्रतिशत पर निर्धारित की गई थी, को पटेल गोरधनदास हरगोविंदास बनाम में बॉम्बे म्यूनिसिपल बरो अधिनियम, 1925 की धारा 73 के अधिकार से बाहर घोषित किया गया था। नगर आयुक्त, अहमदाबाद 22. द.

गुजरात विधानमंडल ने नगरपालिकाओं द्वारा करों का गुजरात अधिरोपण (वैधीकरण) अधिनियम, 1963 पारित किया, जिसमें इस तरह से लगाई गई दरों को मान्य किया गया। श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में उक्त मान्यकारी कानून को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस अदालत की राय थी कि पटेल गोरधनदास मामले के फैसले से दोष की ओर इशारा किया गया था हरगोविंदास (उपर्युक्त) ने कहा कि धारा 73 ने कर लगाने को अधिकृत नहीं किया था, लेकिन एक "दर" का, जो इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विधायी व्यवहार में एक विशेष अर्थ प्राप्त कर चुका था, मान्य करने वाले विधान द्वारा ठीक कर दिया गया था। न्यायालय ने मान्यता देने वाले क़ानून को इस आधार पर बरकरार रखा कि "दर" अभिव्यक्ति का एक नया अर्थ विधायी रूप से लगाया गया था, इस प्रकार न्यायालयों के निर्णयों के प्रभाव को कार्रवाई से बाहर कर दिया गया था। अपीलकर्ता यह तर्क देने के लिए इस निर्णय की सहायता नहीं ले सकते हैं कि 105 वें संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए, क्योंकि 105 वें संशोधन अधिनियम को एक मान्य संशोधन के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि 102 वें संशोधन अधिनियम का कोई भी हिस्सा अमान्य नहीं किया गया है। विवाद

अपीलार्थियों का यह कहना कि 105 वां संशोधन अधिनियम, प्रक्रिया से संबंधित एक संशोधन होने के कारण, के. एस. परिपूर्णन (उपर्युक्त) की तर्ज पर पूर्वव्यापी के रूप में समझा जाना चाहिए, गलत धारणा है। कुछ समुदायों की पहचान करना जिन्हें क्रमशः केंद्र सरकार और राज्यों के उद्देश्यों के लिए एस. ई. बी. सी. माना जाना है, प्रक्रिया का विषय नहीं कहा जा सकता है। 102 वें संशोधन का प्रक्रियात्मक पहलू

22 (1964) 2 एस. सी. आर. 608 पट्टाली मक्कल काठची बनाम। ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

अधिनियम और 105 वां संशोधन अधिनियम केवल प्रकाशन का तरीका है

एस. ई. बी. सी. की सूचियाँ, जबकि उक्त संशोधनों का मूल तत्व कुछ समुदायों को एस. ई. बी. सी. के रूप में पहचानना और मान्यता देना है। इस प्रकार, हम अपीलार्थियों के प्रस्तुत करने में कोई बल नहीं देखते हैं कि 105 वां संशोधन अधिनियम स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है और 102 वां संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख से इसे पूर्वव्यापी प्रभाव देना होगा।

प्रभाव पड़ता है।

30. 2021 के अधिनियम के अधिनियमन के समय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 102 वां संशोधन अधिनियम लागू था। में बहुमत डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (उपरोक्त) का विचार था कि एस. ई. बी. सी. की पहचान और उन्हें अनुच्छेद 342 ए के तहत प्रकाशित होने वाली सूची में शामिल करना राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेदों को शामिल करने के बाद ही किया जा सकता है।

366 (26 सी) और 342-ए। अनुच्छेद 342-ए के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाने वाली एस. ई. बी. सी. की सूची इन उद्देश्यों के लिए एकमात्र सूची होगी -

उनकी सार्वजनिक सेवाएँ। यह भी स्पष्ट किया गया कि आरक्षण की सीमा, किस प्रकार के लाभ, छात्रवृत्ति की मात्रा, अनुच्छेद 15 (4) के तहत विशेष रूप से प्रदान किए जाने वाले स्कूलों की संख्या या अनुच्छेद 15 (4) के तहत किसी अन्य लाभकारी या कल्याणकारी योजना को राज्य अपनी विधायी और कार्यकारी शक्तियों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। यह मानते हुए कि राष्ट्रपति ने अभी तक अनुच्छेद 342-ए (1) के तहत एक सूची तैयार और प्रकाशित नहीं की है, न्यायालय ने कहा कि एक व्यापक सूची जल्द से जल्द प्रकाशित की जानी चाहिए और अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

142 संविधान के अनुसार, न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस तरह की सूची के प्रकाशन के समय तक राज्यों द्वारा तैयार की गई एस. ई. बी. सी. सूचियां जारी रहेंगी। 31. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और सार्वजनिक रोजगार के लिए पिछड़े वर्गों, एम. बी. सी. और डी. एन. सी. की पहचान की गई है।

1994 अधिनियम के तहत जी. ओ. सुश्री संख्या 28 दिनांक 19.07.1994। 30 पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिशत और एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था। वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय ने

1957 से लगातार एम. बी. सी. की सूची में शामिल किया गया और इसे [2022] 19 एस. सी. आर. भी शामिल किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जी. ओ. सुश्री संख्या 28 दिनांक 19.07.1994 में एम. बी. सी. की सूची में, 1994 एक्ट करें। 2021 के अधिनियम द्वारा, एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण में से 10.5 प्रतिशत वन्नियाकुला क्षत्रिय के लिए निर्धारित किया गया था।

समुदाय। एम. बी. सी. के भीतर एक समुदाय के रूप में वन्नियाकुला क्षत्रियों की पहचान 2021 के अधिनियम का विषय नहीं था, क्योंकि यह अभ्यास 1994 के अधिनियम के अनुसार पहले ही पूरा हो चुका था। 2021 के अधिनियम के तहत, एम. बी. सी. और डी. एन. सी. का उप-वर्गीकरण और आरक्षण के एक विशेष प्रतिशत का विभाजन एम. बी. सी. और डी. एन. सी. एस. के भीतर समुदायों के लिए आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से है, जो डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (उपरोक्त) में बहुमत के फैसले के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शक्ति का अनुमेय प्रयोग है। 102 वां संशोधन राज्य को किसी जाति की पहचान एस. ई. बी. सी. के रूप में करने या किसी समुदाय को शामिल करने या बाहर करने से रोकता है।

राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची से। हम सहमत नहीं हैं

उत्तरदाताओं का यह तर्क कि सबसे पिछड़े वर्गों की सूची में किसी समुदाय के लिए आरक्षण की सीमा का निर्धारण करना पहचान के बराबर है। इसे ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि 2021 अधिनियम अनुच्छेद 342-ए का उल्लंघन करता है।

B. पिछड़े वर्गों के बीच उप-वर्गीकरण की अनुमति

कक्षाएँ

32. ई. वी. में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना।

चिन्नायाह वी। A.P.2³ की स्थिति में, उच्च न्यायालय ने कहा कि सूची में उल्लिखित उप-जातियों, नस्लों, जनजातियों सहित सभी जातियों को संविधान के उद्देश्य के लिए एक समूह का सदस्य होना चाहिए और उन्हें आगे उप-जाति नहीं बनाया जा सकता है।

विभाजित किया गया ताकि इसके एक छोटे से हिस्से को अधिक प्राथमिकता दी जा सके। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ई. वी. चिन्नैया (उपरोक्त) के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूची में शामिल सभी जातियों को व्यक्तियों का एक वर्ग माना जाएगा। 33. अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने ई. वी. चिन्नैया (उपर्युक्त) पर भरोसा करने में त्रुटि की है।

23 (2005) 1 एस. सी. सी. 394 24 1992 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 217 पटाली मक्कल कच्छी बनाम।

ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

34. दूसरी ओर, डॉ. राजीव धवन और श्री आर. बालासुब्रमण्यन ने कहा कि इंद्र के अनुसार पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। साहनी (ऊपर), लेकिन एम. बी. सी. के आगे के भेदभाव की अनुमति नहीं है क्योंकि यह सूक्ष्म वर्गीकरण के बराबर होगा, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही माना गया है।

35. आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का तर्कसंगतकरण) अधिनियम, 2000 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। 57 अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति की सूची में गिनाई गई जातियों को पिछड़ेपन के आधार पर चार समूहों में वर्गीकृत किया गया था और

आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा इनमें से प्रत्येक समूह के लिए आरक्षण में अलग-अलग कोटा तय किया गया था। 4 के बहुमत से उच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठः 1 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। ई. वी. चिन्नैया (ऊपर) में, इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि राज्य में उक्त विधान को लागू करने में विधायी क्षमता का अभाव था, जो अपीलकर्ताओं के अनुसार, अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की सूची में सूचीबद्ध जातियों को उपविभाजित या उपसमूहित करने के लिए था।

341 (2) राष्ट्रपति सूची का विभाजन केवल इसके द्वारा किया जा सकता है

संसद। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह उपसमूह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए अनुसूचित जातियों के सूक्ष्म वर्गीकरण के बराबर है। ई. वी. चिन्नैया (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा तीन प्रश्न तैयार किए गए थे, जो नीचे सूचीबद्ध हैंः

" (1) क्या विवादित अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (2) का उल्लंघन करता है?

(2) क्या विवादित अधिनियम संवैधानिक रूप से अमान्य है

विधायी क्षमता की कमी के कारण?

(3) क्या विवादित अधिनियम उपवर्गीकरण बनाता है

या अनुसूचित जातियों का सूक्ष्म वर्गीकरण ताकि इसका उल्लंघन हो

भारत के संविधान का अनुच्छेद 14?

25 (2020) 8 एससीसी 1 [2022] 19 एस. सी. आर.

36. ई. वी. चिन्नैया (ऊपर) में, इस न्यायालय की राय थी कि अनुच्छेद 341 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य को विधायी या कार्यकारी कार्रवाई द्वारा राष्ट्रपति की अनुसूचित जनजातियों की सूची को "बाधित" करने की कोई शक्ति नहीं है।

जातियाँ और इसलिए, राज्य का कोई भी कार्यकारी या विधायी अधिनियम जो राष्ट्रपति की सूची में विभिन्न जातियों को हस्तक्षेप करता है, बाधित करता है, पुनर्व्यवस्थित करता है, पुनः समूह बनाता है या पुनर्वर्गीकृत करता है, अनुच्छेद 341 और संविधान की योजना का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह माना गया कि अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा पहचानी गई जातियां अपने आप में एक वर्ग बनाती हैं और किसी भी विचार के आधार पर इन वर्गों का कोई भी विभाजन राष्ट्रपति की सूची के साथ छेड़छाड़ के बराबर होगा। चूंकि उस मामले में विवादित अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जातियों की सूची में उप-जातियों के समूहों का निर्माण करना था, इसलिए इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सूची II की प्रविष्टि 41 और सूची III की प्रविष्टि 25 पर अपने दावे का पता लगाकर अनुसूचित जातियों को विभाजित करने के लिए राज्य के पास विधायी क्षमता नहीं है। जहाँ तक अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के विवाद का संबंध है, इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इंद्र साहनी (ऊपर) का अनुपात ई. वी. चिन्नैया (ऊपर) के तथ्यों पर लागू होता है। यह इंगित किया गया कि इंद्र साहनी (उपर्युक्त) द्वारा उप-वर्गीकरण केवल 'अन्य पिछड़े वर्गों' से संबंधित है न कि अनुसूचित जातियों से क्योंकि इंद्र साहनी (उपर्युक्त) के निर्णय में ही स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 'अन्य पिछड़े वर्गों' का उपखंड अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिसका कारण, इस न्यायालय के अनुसार ई. वी. चिन्नैया (उपर्युक्त) में, यह था कि संविधान ने स्वयं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से बाहर रखा था।

राज्य सरकारों का हस्तक्षेप। 37. ई. वी. चिन्नैया (उपरोक्त) की बारीकी से जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय पर भरोसा करना गलत था -

उनका मानना है कि पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण राज्य की विधायी क्षमता से परे है। ई. वी. चिन्नैया (ऊपर) मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों को वर्गीकृत करने में राज्य विधानमंडल की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 341 के तहत चार समूहों में पहचाना गया, जिसका प्रभाव था

राष्ट्रपति की सूची का संशोधन माना जाता है, जो अनुच्छेद 341 राज्यों को ऐसा करने से रोकता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ई. वी. चिन्नैया (ऊपर) में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था, पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर इंद्र साहनी (ऊपर) में चर्चा की गई थी और के. सी. वसंत कुमार बनाम में चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. की टिप्पणियों का उल्लेख करने के बाद, जीवन रेड्डी, जे. द्वारा लिखित निम्नलिखित पैराग्राफ का उल्लेख करना हमारे लिए उचित है। कर्नाटक राज्य 2 6:

26 1985 मान लीजिए एस. सी. सी. 714 ताली मक्कल कच्छी बनाम। ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

" 802. हमारी राय है कि पिछड़े वर्गों को वर्गीकृत करने वाले राज्य के लिए कोई संवैधानिक या कानूनी बाधा नहीं है। पीछे और अधिक पीछे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह किया जाना चाहिए। हम इस सवाल से चिंतित हैं कि अगर कोई राज्य इस तरह का वर्गीकरण करता है, तो क्या यह अमान्य होगा? हम नहीं सोचते हैं। आइए हम मंडल आयोग द्वारा विकसित मानदंडों को लें। कोई भी जाति, समूह या वर्ग जिसने ग्यारह या उससे अधिक अंक प्राप्त किए, उसे पिछड़ा वर्ग माना जाता था। अब, ऐसा नहीं है कि सभी हजारों जातियों/समूहों/वर्गों ने समान अंक प्राप्त किए हैं। कुछ जातियाँ/समूह/वर्ग हो सकते हैं।

जिन्होंने 20 से 22 के बीच अंक प्राप्त किए हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ग्यारह से तेरह के बीच अंक प्राप्त किए हैं। इस बात से उचित रूप से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई अंतर नहीं है।

जाति/समूह/वर्गों के इन दो समूहों के बीच। देने के लिए

उदाहरण के लिए, दो व्यावसायिक समूहों को लें। , सुनार और वाडे (आंध्र प्रदेश में पारंपरिक पत्थर काटने वाले) दोनों को अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सुनार वाड्डों की तुलना में बहुत कम पिछड़े होते हैं। यदि उन दोनों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है और आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि सुनार सभी सामान ले लेंगे।

हालाँकि, उप-वर्गीकरण आयोग और राज्य के लिए एक मामला है-और जब तक यह उचित रूप से किया जाता है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस संबंध में, आंध्र प्रदेश में प्राप्त वर्गीकरण का संदर्भ दिया जा सकता है। पिछड़े वर्गों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। समूह ए में "आदिवासी जनजातियाँ, विमुक्त जातियाँ, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियाँ आदि" शामिल हैं। समूह बी में टैपर, बुनकर, बढ़ई, लोहार जैसे पेशेवर समूह शामिल हैं।

सुनार, कामसालिन आदि। समूह सी "ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जातियों और उनकी संतानों" से संबंधित है, जबकि समूह डी में अन्य सभी वर्ग/समुदाय/समूह शामिल हैं, जो समूह ए, बी और सी में शामिल नहीं हैं। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत रिक्तियां उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में उनके बीच उप-विभाजित हैं।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस वर्गीकरण को बलराम [(1972) 1 एस. सी. सी. 660 में उचित ठहराया गया थाः (1972) 3 एससीआर 247]। यह केवल यह दिखाने के लिए है कि पिछड़े वर्गों में भी एक उप-वर्गीकरण हो सकता है। उचित आधार पर।

803. इस मुद्दे को देखने का एक और तरीका है। अनुच्छेद 16 (4) केवल एक वर्ग को मान्यता देता है। , " पिछड़े वर्ग

जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग एक साथ हैं, ओ. बी. सी. सभी रिक्तियों को छीन लेंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उच्च और शुष्क छोड़ देना। यही तर्क अधिक पिछड़े और पिछड़े के बीच वर्गीकरण का भी समर्थन करता है। हमारा यह कहने का मतलब नहीं है कि हम दोहरा सकते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। हम केवल यह कह रहे हैं कि यदि कोई राज्य ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो यह कानून में अनुज्ञेय नहीं है।

न्यायमूर्ति सावंत की यह भी राय थी कि पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण की अनुमति होगी, बशर्ते कि

कि उनमें से प्रत्येक के लिए अलग-अलग कोटा प्रदान किया गया है। इंद्र साहनी (ऊपर) के निर्णय से यह स्पष्ट है कि पिछड़े वर्गों को उप-वर्गीकृत किया जा सकता है। 2021 के अधिनियम के तहत उप-वर्गीकरण उचित है या नहीं, इस पर बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके बीच उप-वर्गीकरण की अनुमति के बारे में विचार किया जा सकता है।

पिछड़े वर्ग।

38. ई. वी. चिन्नैया (उपरोक्त) से बल प्राप्त करके, उच्च न्यायालय का दृढ़ विचार था कि कोई उप-विभाजन नहीं हो सकता है।

राष्ट्रपति की सूची में उल्लिखित उप-जातियों, नस्लों और जनजातियों सहित जातियाँ। ई. वी. चिन्नैया (ऊपर) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार राष्ट्रपति की सूची में शामिल होने के बाद जातियाँ स्वयं एक वर्ग बनाती हैं और किसी भी विचार के आधार पर इन वर्गों या व्यक्तियों का कोई भी विभाजन राष्ट्रपति की सूची के साथ छेड़छाड़ करने के बराबर होगा। डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (उपरोक्त) में बहुवचन राय के अनुसार, राज्यों के संबंध में एस. ई. बी. सी. की सूची को अनुच्छेद 342-ए के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ उचित परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाना था।

मान लीजिए, पटाली मक्कल काठची बनाम। ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

यह 2021 अधिनियम के अधिनियमन के समय तक नहीं किया गया था। जैसा कि पहले कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (उपरोक्त) ने निर्देश दिया कि राष्ट्रपति द्वारा एस. ई. बी. सी. की सूची के प्रकाशन तक, राज्यों द्वारा तैयार की गई एस. ई. बी. सी. सूची जारी रहेगी। इस प्रकार, ई. वी. चिन्नैया (उपरोक्त) में निर्धारित कानून पर विचार करने पर भी, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एस. ई. बी. सी. के लिए राष्ट्रपति की सूची अस्तित्व में नहीं आई थी और 2021 के अधिनियम के माध्यम से उक्त सूची के उप-विभाजन का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए, इस संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष गलत है।

ग. संविधान के अनुच्छेद 31-ख के तहत क्षमता पर रोक

39. 2021 के अधिनियम की संवैधानिकता का आकलन उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31-बी के तहत किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया गया कि नौवीं अनुसूची में रखा गया कानून तब तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है। तथ्यों के वर्तमान समूह में,

कुल मिलाकर, राज्य में एक अलग लेकिन समान कानून के माध्यम से समुदायों के उस समूह में से एक समुदाय को आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए विधायी क्षमता का अभाव था। संदर्भ तैयार किया गया था नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों में तमिलनाडु राज्य द्वारा किए गए संशोधन, जिन्हें नौवीं अनुसूची में भी शामिल किया गया था।

40. डॉ. सिंघवी ने 1994 के अधिनियम की धारा 7 का उल्लेख करते हुए कहा कि 2021 के अधिनियम के तहत आरक्षण की योजना 1994 के अधिनियम के तहत प्रदान किए गए आरक्षण के अलावा कोई नई योजना नहीं थी। 1994 के अधिनियम की धारा 7 में स्पष्ट रूप से वर्गीकरण और उप-प्रावधान किए गए हैं। राज्य द्वारा 'नागरिकों के पिछड़े वर्गों' का वर्गीकरण

उक्त कानून के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना। डॉ. सिंघवी ने बताया कि धारा 7 के तहत शक्ति का प्रयोग राज्य द्वारा पहले भी तमिलनाडु पिछड़े वर्ग के ईसाइयों और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों (शिक्षा में सीटों का आरक्षण) को लागू करने में किया गया था

निजी शैक्षणिक संस्थानों और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों सहित संस्थान अधिनियम, 2007 (इसके बाद, "2007 अधिनियम"), जिसके तहत 1994 के अधिनियम के तहत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 30 प्रतिशत से "पिछड़े वर्ग के मुसलमानों" को साढ़े तीन प्रतिशत आरक्षण दिया गया था और जो आज तक लागू है। तदनुसार, डॉ. सिंघवी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने 2021 के अधिनियम को 1994 के अधिनियम के प्रावधानों को अलग करने वाले एक विशेष क़ानून के रूप में गलत माना।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. श्री द्विवेदी ने इस मुद्दे के एक अलग पहलू पर तर्क दिए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31-बी के दायरे को पूरी तरह से गलत समझा। जबकि अनुच्छेद 31-बी ने संविधान के भाग III के संदर्भ में चुनौती के खिलाफ नौवीं अनुसूची के भीतर रखे गए कानूनों को संरक्षण प्रदान किया, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 246 के तहत कानून की पूर्ण शक्तियों को प्रतिबंधित करने और संघीय वितरण में बदलाव करने के लिए नहीं की जा सकती है।

शक्तियों का। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आग्रह किया कि अनुच्छेद 31-बी में नौवीं अनुसूची में किसी कानून के संशोधन या निरसन के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है और इसलिए, नौवीं अनुसूची में भी कानूनों के संशोधन पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी केवल कुछ संशोधनकारी कानूनों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया का प्रमाण है और प्रत्येक संशोधनकारी कानून की आवश्यकता नहीं है। यह मानते हुए कि यह न्यायालय यह स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं था कि 2021 का अधिनियम 1994 के अधिनियम की धारा 7 का प्रयोग कर रहा था, तब भी 2021 का अधिनियम अपने आप में एक वैध कानून है, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 31-बी का संरक्षण नहीं है। अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए, उन्होंने इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया

श्री राम राम नारायण मेधी (ऊपर), चंद्रशेखर सिंह भोई

(उपर्युक्त), गोदावरी शुगर मिल्स लिमिटेड (उपर्युक्त) और यूको बैंक बनाम। दीपक देबबर्मा 2 7.

42. इन दलीलों का विरोध करते हुए, प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि नौवीं अनुसूची में रखा गया क़ानून संविधान का हिस्सा बन जाता है

और इसे राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित या जोड़ा नहीं जा सकता है। श्री बालासुब्रमण्यन ने तर्क दिया कि 2021 का अधिनियम 1994 के अधिनियम के विपरीत है क्योंकि 1994 के अधिनियम में एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के लिए 20 प्रतिशत के समग्र आरक्षण का प्रावधान है, जबकि 2021 के अधिनियम के तहत, एम. बी. सी. और डी. एन. सी. वाले समुदायों में से एक समुदाय के लिए 10.5 प्रतिशत का सीमांकन किया गया है।

43. अनुच्छेद 31-बी में निर्धारित किया गया है कि नौवीं अनुसूची में रखा गया कोई भी क़ानून इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि वह संविधान के भाग III के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार के साथ असंगत है, उसे छीनता है या उसे कम करता है।

नौवीं अनुसूची में रखा गया क़ानून लागू रहेगा, जो इसे निरस्त करने या संशोधित करने के लिए सक्षम विधानमंडल की शक्तियों के अधीन होगा। गोदावरी शुगर मिल्स लिमिटेड (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय के अनुसार, अनुच्छेद 31-बी का उद्देश्य, जिसे संविधान द्वारा जोड़ा गया था (प्रथम)

संशोधन) अधिनियम, 1951, नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों और उन अधिनियमों और विनियमों के प्रावधानों को उन अधिनियमों, विनियमों या विनियमों को किसी भी चुनौती के खिलाफ एक व्यापक संरक्षण देने के लिए है।

27 (2017) 2 एस. सी. सी. 585 पट्टाली मक्कल कच्छी बनाम। ए. माइलरंपेरुमल एंड ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

संविधान। परिणाम यह है कि किसी अधिनियम या विनियम के प्रावधान मौलिक अधिकारों का कितना भी उल्लंघनकारी क्यों न हों, एक बार जब यह अधिनियम या विनियम नौवीं अनुसूची में निर्दिष्ट हो जाता है तो यह इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा - उस अंक पर मारा। उपरोक्त चुनौती के खिलाफ यह प्रतिरक्षा किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के किसी भी फैसले, डिक्री या आदेश के विपरीत उपलब्ध होगी। तथापि, अनुच्छेद 31-ख का प्रभाव किसी अधिनियम को इस आधार पर चुनौती देने से रोकने के लिए नहीं है कि वह

विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे जिसने इसे अधिनियमित किया। अनुच्छेद की भाषा से यह भी स्पष्ट है कि किसी अधिनियम या विनियमन का विनिर्देशन सक्षम विधायिका को इसे निरस्त करने या संशोधित करने से नहीं रोकेगा। इस न्यायालय की आगे यह राय थी किः

" 16. अनुच्छेद 31 बी के संरक्षण को संशोधन के परिणामस्वरूप जोड़े गए नए प्रावधान तक भी नहीं बढ़ाया जा सकता है।

यह आधार है कि यह उन प्रावधानों के लिए सहायक या आनुषंगिक है जिनके लिए उन्हें नौवीं अनुसूची में शामिल करके पहले ही संरक्षण दिया जा चुका है। अनुच्छेद 31 बी एक संरक्षित क्षेत्र बनाता है।

इसने संविधान में नौवीं अनुसूची को जोड़ा है और उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों, विनियमों और प्रावधानों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर निरस्त होने से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, भले ही वे ऐसे अधिकारों का उल्लंघन करते हों। इस प्रकार अनुच्छेद 31 बी उन अधिनियमों, विनियमों और प्रावधानों द्वारा निपटाए गए मामलों में मौलिक अधिकारों के संचालन को बाहर करता है। कोई भी प्रावधान जिसमें

गारंटी में प्रवेश करने का प्रभाव

चीजों की प्रकृति में मौलिक अधिकारों का बहुत सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए, और हमारी राय में, इस तरह के प्रावधान के दायरे को व्यापक बनाने या संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं को उस सीमा से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी जो प्रावधान की भाषा द्वारा आवश्यक है। जब तक इसे स्पष्ट रूप से नौवीं अनुसूची का हिस्सा नहीं बनाया जाता है, तब तक किसी भी अधिनियम, विनियमन या प्रावधान को अनुच्छेद 31 बी से छूट और संरक्षण नहीं मिलेगा। द.

संरक्षण की पात्रता केवल नौवीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों, विनियमों और प्रावधानों तक ही सीमित होने के कारण, इसे उन प्रावधानों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता जो उस अनुसूची में शामिल नहीं थे। यह सिद्धांत भले ही अच्छा रहेगा।

इस तथ्य के बारे में कि क्या जिस प्रावधान के लिए संरक्षण की पात्रता की मांग की गई है, वह नए मूल [2022] 19 एस. सी. आर. से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला या क्या यह उन मामलों से संबंधित है जो आकस्मिक हैं

या पहले से ही संरक्षित लोगों के लिए सहायक।

इस न्यायालय के पूर्व निर्णय के आधार पर दिए गए विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर विचार करते हुए

रमनलाल गुलाब चंद शाह (ऊपर) मामले में, गोदावरी शुगर मिल्स (ऊपर) मामले में इस न्यायालय ने कहा कि एक कानून, जो अनुच्छेद 31-बी के तहत संरक्षित क़ानून के लिए आकस्मिक या सहायक है, पर संविधान के भाग III के साथ असंगति के आधार पर हमला किया जा सकता है। 44. हमारे विचार में, 2021 के अधिनियम को विधायी क्षमता की कमी से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है, केवल इसलिए कि यह संबंधित है

1994 के अधिनियम से संबंधित या सहायक मामले। पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण 1994 के अधिनियम द्वारा किया गया है, जिसे नौवीं अनुसूची के तहत रखा गया था। ऊपर उल्लिखित निर्णयों से यह स्पष्ट है कि राज्य के पास नौवीं अनुसूची के तहत रखे गए कानून में संशोधन या निरसन करने की शक्ति है। यह तय कानून है कि नौवीं अनुसूची के तहत रखे गए क़ानून में किए गए किसी भी संशोधन को अनुच्छेद 31-बी के तहत संरक्षण नहीं मिलता है, जब तक कि उक्त संशोधन को भी नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है। उपरोक्त निर्णयों की जांच करने के बाद अनुच्छेद 31-बी के उद्देश्य पर, हम यह देखने में असमर्थ हैं कि कैसे अनुच्छेद 31-बी 1994 के अधिनियम के सहायक मामलों पर क़ानून बनाने के लिए राज्य के लिए एक बाधा के रूप में काम करता है। अनुच्छेद 31-बी ऐसे मामलों पर कानून बनाने की राज्य की शक्ति पर कोई बाधा नहीं डालता है और न ही यह ऐसे विधानों को नौवीं अनुसूची के भीतर शामिल करने के लिए कोई अनिवार्य आवश्यकता निर्धारित करता है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा समझा गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि

2021 नौवीं अनुसूची में नहीं रखा गया अधिनियम यह है कि इसे संविधान के भाग III के तहत निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में हमला किया जा सकता है, जिसे अपीलकर्ताओं ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है। महाराज उमेग सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ के आधिकारिक फैसले को दोहराना हमारे लिए सार्थक है। बॉम्बे 28 राज्य, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

" 13. ..... राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता को केवल संविधान में निहित स्पष्ट निषेध द्वारा सीमित किया जा सकता है और जब तक कि संविधान में कोई प्रावधान स्पष्ट रूप से इस विषय पर कानून को पूरी तरह से या सशर्त रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है, तब तक कोई प्रावधान नहीं है।

28 (1955) 2 एस. सी. आर. 164 पट्टाली मक्कल काठची बनाम। ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

पूर्ण शक्तियों पर बंधन या सीमा, जिन्हें राज्य विधानमंडल को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।

संविधान की सातवीं अनुसूची की 2 और 3 सूचियाँ। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह स्वीकार किया गया कि विधान का विषय जो विवादित अधिनियम द्वारा कवर किया गया था, वह उक्त अनुसूची की सूची 2 और विवादित लोगों के अधिकारों के भीतर था।

उस आधार पर अधिनियम को चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

चूंकि नौवीं अनुसूची के भीतर रखे गए कानूनों के आनुषंगिक मामलों पर कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर अनुच्छेद 31-बी से कोई स्पष्ट निषेध नहीं है, इसलिए हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं कि राज्य विधानमंडल में विधायी क्षमता का अभाव है अनुच्छेद 31-बी के कारण 2021 अधिनियम को अधिनियमित करना।

45. 2021 के अधिनियम ने उन समुदायों के लिए आरक्षण की सीमा निर्धारित की जिन्हें 1994 के अधिनियम द्वारा पहले ही पहचाना और वर्गीकृत किया जा चुका था। यह मानते हुए कि राज्य विधानमंडल ने 1994 के अधिनियम में संशोधन किया था, उक्त संशोधन को प्राप्त नहीं हुआ होगा

अनुच्छेद 31-बी के तहत संरक्षण। जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या एक अलग कानून द्वारा पहले से ही पहचाने गए समुदायों के लिए आंतरिक आरक्षण के निर्धारण को 1994 के अधिनियम के विपरीत कहा जा सकता है। इस न्यायालय का विचार है कि जिन समुदायों की पहचान पहले ही एमबीसी और डीएनसी के रूप में की जा चुकी है, उनके लिए आरक्षण की सीमा का विवरण देना 1994 के अधिनियम के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। 1994 के अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि इंदिरा साहनी मामले में इस न्यायालय के फैसले के प्रभावों पर विचार करने के लिए पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक मंचों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 69 प्रतिशत आरक्षण का मौजूदा स्तर। राज्य और राज्य के अधीन सेवाएं जारी रखी जाएंगी। 'नागरिकों के पिछड़े वर्गों' के भीतर विशिष्ट समुदायों के लिए आरक्षण की सीमा का निर्धारण 1994 के अधिनियम का विषय नहीं था।

46. उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि 'नागरिकों के पिछड़े वर्गों' के बीच आरक्षण की सीमा का निर्धारण अनुच्छेद 31-बी को देखते हुए 1994 के अधिनियम में संशोधन करके ही किया जा सकता है, टिकाऊ नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि 1994 के अधिनियम में संशोधन करना राज्य के लिए खुला था। साथ ही, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य विधानमंडल में एम. बी. सी. और डी. एन. सी. एस. के बीच आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए एक कानून बनाने की क्षमता का अभाव था।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

47. जैसे ही 1994 के अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, उच्च न्यायालय की राय थी कि इसे निम्नलिखित द्वारा बदला नहीं जा सकता हैः राज्य सरकार। अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में पूरी तरह से गलत था कि राज्य के पास इस आधार पर 2021 अधिनियम को लागू करने की क्षमता नहीं है कि उसे भारत के राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली है। श्री द्विवेदी ने बताया कि 1994 के अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी।

अनुच्छेद 31-सी को संविधान के भाग IV में निर्धारित सिद्धांतों को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। विशेष रूप से, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) और अनुच्छेद 46 के तहत। 1994 के अधिनियम में इस आशय की एक स्पष्ट घोषणा शामिल थी -

48. श्री वैद्यनाथन ने केरल राज्य बनाम मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज 3 1 साथ ही निर्णय दत्तात्रेय येदु थोम्ब्रे बनाम में बॉम्बे उच्च न्यायालय का। महाराष्ट्र राज्य 3 2 और देउलगांव के नागरिक राजा बनाम। की स्थिति

रसाल सिंह बनाम। 34 का राज्य यह प्रस्तुत करने के लिए कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के दायरे में आने वाले किसी मामले के संबंध में क़ानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है और इसके अलावा, किसी क़ानून में संशोधन, जिसे राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी, राज्यपाल की सहमति से किया जा सकता है, जब तक कि संशोधनकारी क़ानून के प्रावधान शरारत के दायरे में नहीं आते हैं। 29 (1966) 3 एस. सी. आर. 885 30 (2011) 8 एस. सी. सी. 708 31 (2009) 8 एस. सी. सी. 46 32 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 4408 33 2002 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 735 34 1978 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 12 पटाली मक्कल कच्छी बनाम।

ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

अनुच्छेद 254। श्री वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि 2007 के अधिनियम के तहत 'पिछड़े वर्ग के मुसलमानों' को और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 18 प्रतिशत के भीतर अरुन्धथियारों को तमिलनाडु अरुन्धथियारों (शिक्षा में सीटों का विशेष आरक्षण) के तहत अलग से आरक्षण देते समय राष्ट्रपति की सहमति नहीं ली गई थी

निजी शैक्षणिक संस्थानों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2009 के तहत राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों सहित संस्थान।

49. संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) में निर्धारित सिद्धांतों को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी बनाने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के साथ असंगत होने के कारण चुनौती से बचाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 31-सी के अनुसार। जहाँ ऐसी विधि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है, वहाँ उसे अनुच्छेद 31-सी के तहत तब तक लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति की सहमति न मिल जाए। 1994 के अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई क्योंकि इसे अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) और अनुच्छेद 46 के तहत निदेशक सिद्धांतों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि 2021 के अधिनियम ने 1994 के अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव किया है, जो राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता था।

50. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, 2021 का अधिनियम उन मामलों से संबंधित है जो 1994 के अधिनियम में निहित मामलों के आनुषंगिक या सहायक हैं और राज्य ऐसे मामलों पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। यह राज्य को तय करना है क्या कोई विधान, जो एक ही विषय पर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रतिकूल नहीं है, को राष्ट्रपति की सहमति मिलनी चाहिए या नहीं। यदि राष्ट्रपति की सहमति नहीं ली जाती है, तो परिणाम यह है कि राज्य द्वारा बनाई गई क़ानून के लिए अतिसंवेदनशील है -

अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के रूप में चुनौती। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य सहायक विषयों पर कानून नहीं बना सकता है। किसी पूर्ववर्ती कानून की, जिसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई हो, या यह कि राज्य सरकार के लिए किसी ऐसे विधान के लिए राष्ट्रपति की सहमति लेना अनिवार्य है जिसे राज्य अन्यथा अधिनियमित करने के लिए सक्षम है। इंद्र साहनी (ऊपर) में, न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने अपने और तीन अन्य न्यायाधीशों के लिए लिखते हुए निर्णायक रूप से स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 16 (1) अनुच्छेद 14 का एक पहलू है और जिस तरह अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, उसी तरह अनुच्छेद 16 (1) भी करता है, जिसका अर्थ है कि नियुक्ति और/या पदों को अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत एक वर्ग के पक्ष में आरक्षित किया जा सकता है। अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए, कुछ स्थितियों में असमान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना आवश्यक हो सकता है। यह आगे उल्लेख किया गया कि अनुच्छेद

16 (4) इस तरह के वर्गीकरण का एक उदाहरण है, जिसे मामले [2022] 19 एस. सी. आर. को रखने के लिए रखा गया है।

विवाद से परे। जहाँ राज्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों को कुछ छूट, रियायतें या वरीयताएँ प्रदान करने के लिए आरक्षण के प्रावधान को पूर्ण प्रभाव देने के उद्देश्य से आवश्यक पाता है, वह खंड (4) के तहत ही इसका विस्तार कर सकता है। न्यायमूर्ति पांडियन ने अनुच्छेद 15 (4) के विधायी इतिहास का पता लगाते हुए कहा कि संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 15 (4) का उद्देश्य अनुच्छेद 16 (4), 46 और 340 के अनुरूप अनुच्छेद 15 और 29 को लाना और सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने के साथ-साथ अन्य विशेष प्रावधान करना था जो उनकी उन्नति के लिए आवश्यक हो। इन टिप्पणियों और निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि राज्यों को अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने का अधिकार है। हम श्री विजयन की दलीलों में कोई बल नहीं देखते हैं, जिन्होंने इस न्यायालय को यह समझाने का प्रयास किया कि 2021 के अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य विधानमंडल की शक्ति का स्रोत संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सूचियों में किसी भी प्रविष्टि से नहीं मिल सकता है।

51. जैसा कि अनुच्छेद 31-बी के संबंध में 2021 के अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य की क्षमता से निपटने के दौरान संदर्भित किया गया है, महाराज उमेग सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि कोई भी बंधन नहीं हो सकता है।

यह कानून बनाने की राज्य की शक्ति पर निहित है, जब तक कि यह संविधान के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हो। अनुच्छेद 31-सी के तहत इस तरह के किसी भी स्पष्ट प्रतिबंध के बिना, राज्यपाल की सहमति से 2021 के अधिनियम को लागू करने की राज्य की क्षमता को दोष नहीं दिया जा सकता है और न ही अदालतों द्वारा राज्य को 2021 के अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थियों द्वारा दिए गए निर्णयों से निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं।

IV. जाति आधारित वर्गीकरण

52. उच्च न्यायालय में रिट याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन करते हुए वण्णियाकुला क्षत्रियों के लिए 10.50 प्रतिशत के आंतरिक आरक्षण को चुनौती दी थी। उनके इस तर्क को कि आंतरिक आरक्षण केवल जाति के आधार पर था जो अन्य समुदायों के लिए भेदभाव के बराबर था, द्वारा स्वीकार किया गया था

उच्च न्यायालय। 53. हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या वन्नियाकुला क्षत्रियों के लिए 10.5 प्रतिशत का आंतरिक आरक्षण प्रदान किया गया है।

केवल जाति के आधार पर और क्या उच्च न्यायालय पटाली मक्कल कच्छी बनाम को आयोजित करने में सही है।

ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

कि जाति के आधार पर ऐसा वर्गीकरण अस्वीकार्य है। के. सी. वसंत कुमार (ऊपर) में इस न्यायालय ने जाति को निम्नानुसार परिभाषित और वर्णित कियाः

" फिर जाति क्या है? हालाँकि विद्वानों और न्यायविदों द्वारा जाति पर चर्चा की गई है, लेकिन अभिव्यक्ति की कोई सटीक परिभाषा सामने नहीं आई है। जाति समाज का एक क्षैतिज विभाजन है जो एक जिले या एक क्षेत्र या पूरे राज्य में फैला हुआ है और कभी-कभी इसके बाहर भी। होमो पदानुक्रम जाति-व्यवस्था का केंद्रीय और मूल तत्व होने की उम्मीद है।

शुद्धता और अशुद्धता जाति व्यवस्था की अवधारणा है जाति की चार आवश्यक विशेषताएं हैं-प्रणाली जिसने अपने समलिंगी पदानुक्रम चरित्र को बनाए रखाः (1) पदानुक्रम;

(2) समानता; (3) विवाह पर प्रतिबंध; और (4) वंशानुगत व्यवसाय। अधिकांश जातियाँ अंतर्विवाही हैं। समूह। दो समूहों के बीच अंतर-विवाह की अनुमति नहीं है। लेकिन 'प्रतिलोम' विवाह पूरी तरह से ज्ञात नहीं हैं।

इंद्र साहनी (ऊपर) में, जे. जीवन रेड्डी ने कहा कि जाति और कुछ नहीं बल्कि एक सामाजिक वर्ग है-एक सामाजिक रूप से सजातीय वर्ग। जीवन

54. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आरक्षण प्रदान करने के लिए जाति आधार हो सकती है, लेकिन यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। वर्तमान में हम उप-वर्गीकरण से संबंधित हैं। जैसा कि कहा गया है, इंद्र साहनी (ऊपर) में यह माना गया है कि पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अधिक पिछड़े के रूप में वर्गीकृत करने वाले राज्य के लिए कोई संवैधानिक या कानूनी बाधा नहीं है। वर्तमान मामले में, एक को आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए उप-वर्गीकरण विशेष समुदाय, अर्थात वन्नियाकुला क्षत्रिय, भी इसी सिद्धांत द्वारा शासित होंगे, अर्थात्, जबकि जाति आंतरिक आरक्षण प्रदान करने का प्रारंभिक बिंदु हो सकती है, यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह उप-वर्गीकरण की तर्कसंगतता को उचित ठहराए और यह प्रदर्शित करे कि जाति ही एकमात्र आधार नहीं रही है। हम वर्तमान में सौदा नहीं कर रहे हैं।

वन्नियाकुला क्षत्रियों के लिए आंतरिक आरक्षण को उचित ठहराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्भर अन्य कारकों की जांच के साथ। हम उस बिंदु पर बाद में विचार करने का प्रस्ताव करते हैं। वर्तमान में, हमने [2022] 19 एस. सी. आर. का उत्तर दे दिया है।

आरक्षण प्रदान करने और पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के लिए प्रारंभिक आधार जाति से संबंधित प्रश्न ताकि आंतरिक आरक्षण का प्रावधान किया जा सके।

वी. थानिकाचलम, जे. की रिपोर्ट की जांच और

2021 अधिनियम की संवैधानिक वैधता 55. उच्च न्यायालय के अनुसार, अधिनियम के अधिनियमन की तारीख तक तमिलनाडु राज्य के पास कोई मात्रात्मक डेटा उपलब्ध नहीं था

2021 अधिनियम, जो सक्षम शक्तियों के उनके प्रयोग का समर्थन करेगा

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत। उच्च न्यायालय का विचार था कि एम. बी. सी. और डी. एन. सी. का उप-वर्गीकरण तीन भागों में किया जाए।

2021 अधिनियम के तहत आरक्षण के विभाजन के लिए श्रेणियां दी गई हैं

बिना किसी वस्तुनिष्ठ मानदंड के और 1983 के जनसंख्या आंकड़ों को छोड़कर, (i) उप-वर्गीकरण के लिए वर्गों के पिछड़ेपन की डिग्री; (ii) इन उप-वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व; और (iii) प्रशासन की दक्षता पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने इंद्र साहनी (ऊपर), जरनैल सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। लक्ष्मी नारायण गुप्ता 3 5 और डॉ. जैश्री लक्ष्मणराव पाटिल (ऊपर) का यह मानना कि 2021 का अधिनियम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का एक प्रयास होने के नाते, इसके द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ है।

न्यायालय, जैसा कि यह तय किया गया कानून है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि उप-वर्गीकरण की अनुमति केवल इस आधार पर दी जाएगी कि "एक वर्ग उस वर्ग के उन्नत वर्गों की तुलना में बहुत पिछड़ा है", हालाँकि, 2021 के अधिनियम के तहत वर्गीकरण किसी भी बोधगम्य अंतर पर आधारित नहीं था क्योंकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि अन्य 115 समुदाय किसी भी मानदंड का उपयोग करके वन्नियाकुला क्षत्रियों की तुलना में अधिक उन्नत थे।

इसलिए, वर्गीकरण केवल जाति के आधार पर किया गया था, जो कानून में अस्थिर है।

यह दर्शाता है कि तमिलनाडु में उनकी उपस्थिति और संख्या के संदर्भ में वन्नियाकुला क्षत्रियों की स्थिति, उनके विशिष्ट व्यवसायों और उनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया था। जिस तरह से अंबासांकर आयोग ने अपना मूल्यांकन किया था, उस पर जोर दिया गया, जिसमें तमिलनाडु की पूरी आबादी का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था।

35 (2018) 10 एस. सी. सी. 396 पट्टाली मक्कल कच्छी बनाम। ए. माइलरंपेरुमल एंड ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

2500 शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश के लिए और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण लाभों का लाभ उठाने के हकदार पिछड़े वर्गों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के उद्देश्य से दो साल की अवधि में लगभग पांच करोड़ लोगों का विवरण एकत्र करने के लिए कर्मी और घर-घर जाना। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जनार्थनम आयोग की रिपोर्ट अंबासांकर आयोग की रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसने व्यापक मात्रात्मक डेटा एकत्र किया था। जनार्थनम आयोग ने आंतरिक आरक्षण की मांग करने वाली जातियों और समुदायों का व्यवहार्यता विश्लेषण किया था और ऐसे प्रत्येक समुदाय की व्यवहार्यता कारक का पता लगाने के लिए एक सूत्र लागू किया था। एम. बी. सी. और डी. एन. सी. को दिए गए 20 प्रतिशत आरक्षण के भीतर आंतरिक आरक्षण की मांग करने वाली अन्य जातियों/समुदायों में से किसी ने भी आंतरिक आरक्षण की व्यवहार्यता या व्यवहार्यता की कसौटी को संतुष्ट नहीं किया, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही जनार्दनम आयोग ने वन्नियाकुला क्षत्रियों के लिए 10.5 प्रतिशत आंतरिक आरक्षण की सिफारिश की थी। अपीलकर्ताओं ने यह भी बताया कि जनार्थनम

आयोग ने शैक्षणिक वर्षों 2006-07 से 2010-11 के लिए पेशेवर पाठ्यक्रमों में वन्नियाकुला क्षत्रियों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया था और 01.08.2010 पर तमिलनाडु सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने के लिए आरक्षण लाभों के आनंद का अपर्याप्त हिस्सा, जो कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम था। तदनुसार, अपीलार्थियों द्वारा यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय ने एकत्र और मूल्यांकन किए गए आंकड़ों के आधार पर रिपोर्टों और व्यापक निष्कर्षों पर अपना ध्यान नहीं दिया है। विवादित लोगों का मुकाबला करना

निर्णय में, श्री राधाकृष्णन ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने एक सीमित जांच शुरू नहीं की थी, जैसा कि बेरियम केमिकल्स लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का आदेश है। कंपनी विधि बोर्ड 3 6 के लिए

जिन उदाहरणों में राज्य की व्यक्तिपरक राय शामिल है, और यह कि उच्च न्यायालय को यह जांचने के लिए खुद को प्रतिबंधित करना चाहिए था कि क्या कोई डेटा उपलब्ध था जिसके आधार पर राज्य सरकार ने अपनी राय बनाई थी। इन प्रस्तुतियों का उत्तरदाताओं द्वारा इसके बाद चर्चा किए गए आधारों पर बलपूर्वक विरोध किया गया था।

57. 2021 अधिनियम की प्रस्तावना तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की सिफारिश को संदर्भित करती है।

वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय को 20 प्रतिशत के भीतर 10.50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना। आयोग के अध्यक्ष ने समर्थन मांगा

जनार्थनम आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से 36 1966 एस. सी. आर. 311 [2022] 19 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58. जनार्थनम आयोग और न्यायमूर्ति थानिकाचलम की रिपोर्टों का मूल्यांकन शुरू करने से पहले, पिछड़े वर्गों से संबंधित सिफारिशें प्रदान करने वाले आयोग की रिपोर्ट की न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा को संक्षेप में तैयार करना आवश्यक है। के रूप में पिछड़े वर्गों की पहचान और आरक्षण देना संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत उपाय हैं, ऐसे उपायों को संवैधानिक जांच से गुजरना पड़ता है। जबकि आयोग की रिपोर्ट को

यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी संवैधानिक सिद्धांत के उल्लंघन या किसी भी संवैधानिक आवश्यकता पर विचार न करने से संबंधित मूल्यांकन न्यायिक निरीक्षण की पहुंच से बाहर है। ए. पी. बनाम राज्य में यह न्यायालय। यू. एस. वी. बलराम 3 7 ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि न्यायिक जांच इस बात की जांच करने के लिए अनुमत है कि क्या निष्कर्ष

निर्धारित संदर्भ की अन्य शर्तों के अलावा, एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के लिए प्रदान किए गए आरक्षण के भीतर आंतरिक आरक्षण के लिए विभिन्न समुदायों द्वारा की गई मांगों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। पिछड़ा वर्ग आयोग में 7 सदस्य थे, जिनकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति जनार्दनम ने की थी 37 (1972) 1 एस. सी. सी. 660 38 बी. के. पवित्रा बनाम भारत संघ (2019) 16 एस. सी. सी. 129 पटाली मक्कल काठची बनाम।

ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

सभापति ने अपनी चिंता व्यक्त की कि उन्हें आंतरिक आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। बहुमत ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि 2011-12 के अनुसार, उन्हें जाति-आधारित अद्यतन आंकड़े नहीं दिए गए थे। बहुमत सदस्यों ने कहा कि उनका कार्यकाल जुलाई, 2012 में समाप्त हो रहा था और उनके लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा, खासकर जब संसदीय चुनाव होने की उम्मीद थी। एक सुझाव दिया गया था सदस्यों द्वारा सरकार को एक अंतरिम जवाब प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए कि जाति-आधारित जनगणना के अद्यतन आंकड़ों को एकत्र किया जाना चाहिए और आयोग के समक्ष रखा जाना चाहिए। प्रो. डी. सुंदरम, सदस्य

आयोग ने एक अलग नोट प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य सिफारिशों के साथ, उन्होंने कहा कि एक सांख्यिकीय विशेषज्ञ द्वारा मात्रात्मक डेटा के मूल्यांकन की आवश्यकता है, जिसे जातियों पर वर्तमान सर्वेक्षण में एकत्र किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के निदेशकों, अध्यक्षों और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न भर्ती आयोगों और एजेंसियों के सदस्यों और समुदायों और वर्गों के सभी हितधारकों, विभिन्न विभागों में नौकरशाहों, विशेष रूप से कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभागों के साथ व्यापक परामर्श करने का सुझाव दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आंतरिक आरक्षण के लिए पिछड़े वर्गों के अन्य समुदायों द्वारा पसंद किए गए अभ्यावेदन की जांच की जानी चाहिए। 60. पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने वनियाकुला क्षत्रियों के पक्ष में 10.5 प्रतिशत के आंतरिक आरक्षण की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनकी रिपोर्ट में आयोग द्वारा विभिन्न जातियों/समुदायों से प्राप्त 50 अभ्यावेदनों का संदर्भ है जो शैक्षणिक संस्थानों में आंतरिक आरक्षण के साथ-साथ सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों की मांग करते हैं। 30 एम. बी. सी. के भीतर समुदायों द्वारा अभ्यावेदन किए गए थे, जिनमें से 8 वन्नियाकुला क्षत्रियों से, 5 मीनावरों से, 1-1 थोटिया नायकर, मरुथुवर, नवीथार, सलवई थोझीलालार और एरा गोलर से थे, जो व्यक्तिगत जातियों/समुदायों के आधार पर आंतरिक आरक्षण की मांग कर रहे थे। आयोग ने 1985 में सरकार को सौंपी गई अंबाशंकर आयोग की रिपोर्ट से एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के रूप में सूचीबद्ध सभी जातियों और समुदायों के जनसंख्या डेटा और आंतरिक आरक्षण के अनुरोधों की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत अन्य सामग्री एकत्र की। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 1983 के दौरान सभी जातियों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली तमिलनाडु राज्य की कुल आबादी थी

4,99,90,943 . एमबीसी और डीएनसी की जनसंख्या 1,23,17,745 थी।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वन्नियाकुला क्षत्रियों की जनसंख्या 65,04,855 थी, जो कुल जनसंख्या का 13.012 प्रतिशत थी। आयोग के अध्यक्ष ने जनसंख्या के आंकड़ों से आंतरिक आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया, जो किए गए व्यवहार्यता विश्लेषण का आधार बना। सभापति द्वारा अपनाए गए एक सूत्र के आधार पर, वन्नियाकुला क्षत्रियों का व्यवहार्यता कारक 10.562 प्रतिशत था। आंतरिक प्रतिनिधित्व की मांग करने वाले अन्य समुदाय/जातियाँ थीं

यह पाया गया कि वे लाभ के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे आंतरिक आरक्षण करने की व्यवहार्यता की कसौटी को पूरा नहीं करते हैं, जो एम. बी. सी. और डी. एन. सी. की कुल जनसंख्या के अनुपात में उनकी जनसंख्या के आधार पर लगभग ढाई प्रतिशत या उससे कम है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आरक्षण तैयार करने के लिए सूची तैयार की जाएगी

जटिल, यदि आंतरिक आरक्षण की मांग करने वाले अन्य समुदायों के अभ्यावेदन को स्वीकार किया जाना था।

61. अंबासांकर आयोग की रिपोर्ट में वर्णित वन्नियाकुला क्षत्रियों की आबादी को ध्यान में रखते हुए

1985 में, सभापति ने आंतरिक आरक्षण की सिफारिश की

अध्यक्ष द्वारा निर्धारित। सभापति का विचार था कि वन्नियाकुला क्षत्रियों को आंतरिक आरक्षण प्रदान करने से उन्हें अनुचित लाभ नहीं मिलेगा और न ही यह एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के रूप में सूचीबद्ध अन्य जातियों और समुदायों के आरक्षण लाभों की पात्रता को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा। 62. जैसा कि कहा गया है, तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन आई. डी. 1 पर किया गया था, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति थानिकाचलम थे, जिसमें छह सदस्य और दो पदेन सदस्य थे। सरकार के अनुरोध के जवाब में 18.02.2021 पर विचार भेजने के लिए

एम. बी. सी. और डी. एन. सी. में सूचीबद्ध समुदायों के लिए आंतरिक आरक्षण प्रदान किया जाएगा, न्यायमूर्ति थानीकाचलम, दिनांक 22.02.2021 के पत्र के माध्यम से, पटाली मकाल कच्छी बनाम।

ए. माइलरंपेरुमल एंड ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

वन्नियाकुला क्षत्रियों के लिए 10 प्रतिशत, डी. एन. सी. और कुछ एम. बी. सी. के लिए सात प्रतिशत और शेष एम. बी. सी. के लिए ढाई प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई। उक्त पत्र में न्यायमूर्ति जनार्दनम द्वारा वन्नियाकुला क्षत्रियों को 10.5 प्रतिशत आंतरिक आरक्षण देने की सिफारिश का उल्लेख किया गया था। बिना कुछ दिए न्यायमूर्ति थानिकाचलम ने अन्य सदस्यों की असहमति पर प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की राय बाहरी कारणों पर आधारित थी, जो अप्रासंगिक थी और 2012 में जारी संदर्भ की अतिरिक्त शर्तों के तहत मुद्दों पर विचार करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। न्यायमूर्ति थानीकाचलम का विचार था कि न्यायमूर्ति जनार्दनम की सिफारिश, हालांकि अल्पमत की राय है, अप्राप्य है। हालांकि, यह देखते हुए कि जनार्दनम आयोग के संदर्भ की शर्तों पर आयोग को विचार करने की आवश्यकता थी

विभिन्न समुदायों के आंतरिक आरक्षण के लिए प्रतिनिधित्व और नहीं

न्यायमूर्ति थानिकाचलम ने केवल प्रमुख समुदायों के लिए, वन्निकुला क्षत्रियों के लिए 10.5 प्रतिशत आरक्षण के अलावा, समुदायों के एक समूह को सात प्रतिशत आरक्षण आवंटित करने की सिफारिश की, जिसमें डी. एन. सी. के साथ-साथ डी. एन. सी. और मछुआरा समुदायों और एम. बी. सी. के भीतर वन्नार समुदायों के समान नाम वाले एम. बी. सी. के भीतर कुछ समुदाय शामिल हैं, और एम. बी. सी. के भीतर शेष समुदायों को ढाई प्रतिशत आवंटित किया गया है। यह दोहराना सार्थक है कि उस समय कुलशेखरन आयोग द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिसे सरकार द्वारा तमिल राज्य में जातियों, समुदायों और जनजातियों पर मात्रात्मक आंकड़ों के संग्रह के लिए 21.12.2020 पर नियुक्त किया गया था।

63. जैसा कि श्री नागमुथु और श्री बालासुब्रमण्यम ने विरोध किया, यह स्पष्ट है कि न्यायमूर्ति जनार्दनम की रिपोर्ट पर न्यायमूर्ति ने भरोसा किया था थानिकाचलम, एक अल्पमत का दृष्टिकोण है। बहुलता के विचार, यानी तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग के शेष छह सदस्य, न्यायमूर्ति जनार्दनम द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के विपरीत थे। द.

बहुमत की राय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि डेटा जो पहले उपलब्ध था

वे पुराने हो गए थे। उन्होंने जाति-वार आंकड़ों के संग्रह के महत्व पर प्रकाश डाला ताकि वे आंतरिक आरक्षण पर अपनी राय दे सकें। इसके अलावा, बहुमत सदस्यों ने अनुचितता व्यक्त की

2012 में आगामी संसदीय चुनावों से ठीक पहले जल्दबाजी में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। न्यायमूर्ति थानिकाचलम ने ब्रश करने में गलती की

इस आधार पर बहुमत सदस्यों की राय को दरकिनार कर दिया कि यह बाहरी कारणों से भरा हुआ था। [2022] 19 एस. सी. आर. पर टिप्पणी करने में असमर्थ होने के आधार के रूप में बहुमत द्वारा उद्धृत अद्यतन डेटा की कमी को उचित ठहराए बिना।

आंतरिक आरक्षण प्रदान करते हुए, न्यायमूर्ति थानीकाचलम ने यह कहते हुए न्यायमूर्ति जनार्दनम की सिफारिश का आंख मूंदकर पालन किया कि उनका विचार अप्राप्य है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वन्नियकुला क्षत्रियों के लिए आंतरिक आरक्षण की सिफारिश केवल न्यायमूर्ति थानिकाचलम द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के माध्यम से की गई है और इसमें तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग के शेष सदस्यों के विचार शामिल नहीं हैं। उक्त पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि न्याय थानिकाचलम ने आयोग के शेष सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद आंतरिक आरक्षण पर सिफारिशें की हैं, जिन्हें शेष सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, या कम से कम, बहुमत से अनुमोदन प्राप्त है।

64. एम. बी. सी. और डी. एन. सी. को उपलब्ध कराए गए 20 प्रतिशत में से 10.5 प्रतिशत का आंतरिक आरक्षण निश्चित रूप से लोगों के लिए होगा। अन्य समुदायों का नुकसान, किसी भी अभ्यास के अभाव में या किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से यह प्रदर्शित होता है कि वन्नियाकुला के सदस्य

क्षत्रिय समुदाय एमबीसी और डीएनसी के भीतर शेष समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। न्यायमूर्ति थानिकाचलम द्वारा पत्र में शैक्षणिक संस्थानों या सार्वजनिक रोजगार में एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के भीतर शेष समुदायों के प्रतिनिधित्व पर कोई डेटा या सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया है, जो इन समुदायों को उपलब्ध कराए गए आरक्षण की सीमा में गंभीर प्रतिबंध का समर्थन कर सकता है, जो 2021 के अधिनियम के अधिनियमन तक सामूहिक रूप से 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाने के हकदार थे। डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (ऊपर) का निम्नलिखित अनुच्छेद, जिस पर श्री वी. प्रकाश ने भरोसा किया है, वर्तमान संदर्भ के लिए प्रासंगिक हैः

" 520. "पर्याप्त" शब्द एक सापेक्ष शब्द है जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से विभिन्न जातियों और समुदायों के प्रतिनिधित्व के संबंध में किया जाता है। रोजगार। अनुच्छेद 16 (4) का उद्देश्य यह है कि पिछड़े वर्ग को भी मुख्यधारा में लाया जाए और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई करके राज्य की शक्ति साझा करने में सक्षम बनाया जाए। जनसेवा का हिस्सा बनना, जैसा कि आज के समाज द्वारा स्वीकार किया गया है, सामाजिक स्थिति प्राप्त करना और शासन में भूमिका निभाना है। राज्य का शासन सेवा कर्मियों के माध्यम से है जो खेल खेलते हैं।

सरकारी नीतियों, अपने दायित्वों और कर्तव्यों को लागू करने में एक प्रमुख भूमिका। अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण देने के लिए अपनी सक्षम शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य को अपर्याप्तता की पहचान करनी होगी।

पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व का पता लगाने के लिए, पटाली मक्कल काठची बनाम।

ए. माइलरंपेरुमल और

ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

सार्वजनिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य जाति और समुदाय सेवाएँ "।

न्यायमूर्ति थानिकाचलम द्वारा आंतरिक आरक्षण की सिफारिश करने के लिए ज्ञात तरीकों का सहारा लेकर कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया था, जिन्होंने केवल न्यायमूर्ति द्वारा प्रस्तुत अल्पमत रिपोर्ट को मंजूरी दी थी

जनार्थनम।

65. यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायमूर्ति जनार्दनम ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1985 से वन्नियाकुला क्षत्रियों की जनसंख्या के आंकड़ों पर भरोसा किया था। उनकी सिफारिश 1985 में अंबासांकर आयोग की रिपोर्ट से लिए गए आंकड़ों के आधार पर की गई थी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश और वर्ष 2006-07 से 2010-11 और 2010 से संबंधित सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के लिए किया गया संदर्भ, क्रमशः। आरक्षण प्रदान करने के लिए लिया गया निर्णय जो 115 समुदायों के सदस्यों के अधिकारों को प्रभावित करेगा, समकालीन सूचनाओं के आधार पर होना चाहिए न कि पुराने और पुराने।

आँकड़ा 3 9 39। आयोग द्वारा कोई भी अध्ययन वर्तमान स्थिति के संबंध में होना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य वर्तमान या वर्तमान में सकारात्मक कार्रवाई करना है। किसी विशेष समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य। इस विशेष मामले में, वन्नियाकुला क्षत्रियों को आंतरिक आरक्षण की सिफारिश करने के उद्देश्य से जिन आंकड़ों पर भरोसा किया गया था, वे 1985 के हैं। राज्य

सरकार, तमिलनाडु राज्य में जातियों, समुदायों और जनजातियों के बारे में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए कुलशेखरन आयोग की नियुक्ति के समय, जिसमें प्रवासी भी शामिल हैं, ने इस तरह के डेटा के संग्रह की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, जैसे कि कुलशेखरन आयोग द्वारा एकत्र किए गए डेटा। अंबाशंकर आयोग तीन दशक से अधिक पुराना हो गया था। हम प्रत्यर्थियों की आपत्ति से सहमत हैं कि न्यायमूर्ति थानिकाचलम या उनके पास कोई समकालीन डेटा उपलब्ध नहीं था।

यहां तक कि न्यायमूर्ति जनार्दनम, जिनके आधार पर आंतरिक आरक्षण के लिए सिफारिशें की जा सकती थीं।

66. यह देखा गया है कि जनसंख्या का अनुपात

एम. बी. सी. और डी. एन. सी. की कुल आबादी में वन्नियाकुला क्षत्रिय, जिसे व्यवहार्यता सूत्र कहा जाता है, एकमात्र मानदंड था जिस पर विचार किया गया था।

39 राम सिंह बनाम। भारत संघ (2015) 4 एस. सी. सी. 497 40 डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (ऊपर)

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायमूर्ति जनार्दनम द्वारा वन्नियाकुला क्षत्रियों के लिए आंतरिक आरक्षण की सिफारिश करना। आंतरिक आरक्षण की मांग करने वाले एम. बी. सी. के भीतर अन्य समुदायों द्वारा किए गए अभ्यावेदन को न्यायमूर्ति जनार्दनम द्वारा केवल उनके अनुपात के आधार पर संभव नहीं माना गया था।

एम. बी. सी. और डी. एन. सी. की कुल जनसंख्या के लिए जनसंख्या। इस न्यायालय की राय है कि वन्नियाकुला क्षत्रिय की जनसंख्या का प्रतिशत एम. बी. सी. और डी. एन. सी. की कुल जनसंख्या के अनुपात में है।

आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए यह एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता आनुपातिक प्रतिनिधित्व से अलग है, हालांकि कुल जनसंख्या के लिए संबंधित समुदाय की जनसंख्या का अनुपात पर्याप्तता निर्धारित करने में प्रासंगिक कारकों में से एक हो सकता है। इंद्र साहनी में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः -

" 807. तथापि, हमें यह इंगित करना चाहिए कि खंड (4) पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करता है न कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। पर्याप्त प्रतिनिधित्व को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत केवल संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में स्वीकार किया गया है और वह भी एक सीमित अवधि के लिए। ये अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की बात करते हैं।

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के पक्ष में

उनकी आबादी के अनुपात में, लेकिन वे केवल अस्थायी और विशेष प्रावधान हैं। इसलिए इसे स्वीकार करना संभव नहीं है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत हालांकि

कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात निश्चित रूप से प्रासंगिक होगा। जिस तरह हर शक्ति का उचित और निष्पक्ष रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, उसी तरह शक्ति प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 16 के खंड (4) द्वारा भी उचित तरीके से और उचित सीमाओं के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए और इससे अधिक क्या है

यह कहना कि खंड (4) के तहत आरक्षण नियुक्तियों या पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर, जैसा कि इसके बाद समझाया गया है। इस दृष्टिकोण से, पिछड़े वर्गों के पक्ष में विवादित ज्ञापनों द्वारा प्रदान किया गया 27 प्रतिशत आरक्षण उचित सीमा के भीतर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में आरक्षण के साथ, यह कुल मिलाकर

49.5 % . इस संबंध में, वी. में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है।

नारायण राव बनाम। एपी का राज्य [ए. आई. आर 1987 ए. पी. 53: 1987 लैब आई. सी. 152 (1986) 2 ए. एन. डी. एच. एल. टी. 258]।

पटाली मक्कल काठची बनाम। ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 44 प्रतिशत करना। उक्त वृद्धि का कुल आरक्षण लेने का प्रभाव पड़ा

अनुच्छेद 16 (4) से 65 प्रतिशत के तहत। ”

तदनुसार, हम डॉ. धवन के इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि

न्यायमूर्ति जनार्दनम की रिपोर्ट में अनुशंसित और न्यायमूर्ति थानीकाचलम द्वारा अनुमोदित आंतरिक आरक्षण, केवल जनसंख्या के आधार पर, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए कायम नहीं रखा जा सकता है।

67. तमिलनाडु द्वितीय पिछड़े वर्ग के संदर्भ में एक उत्तरदाता की ओर से श्री गोंजाल्विस द्वारा रखे गए आंकड़े

ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ग आयोग (अंबासांकर आयोग) ने संकेत दिया है कि एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के एक ही वर्ग के अन्य 115 समुदायों के विपरीत, जिनमें से कई सकारात्मक कार्रवाई के किसी भी लाभ से वंचित रहे हैं, वन्नियाकुला क्षत्रियों का सार्वजनिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्व था। रोजगार और शैक्षणिक संस्थान। वर्षों से, एम. बी. सी. के रूप में पहचाने गए 48 समुदायों के 25 समुदायों और डी. एन. सी. के रूप में पहचाने गए 68 समुदायों में से 66 को एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला। वन्नियार समुदाय के छात्रों ने 1 के जनसंख्या अनुपात में प्रवेश के साथ चिकित्सा पाठ्यक्रम में 104 सीटें हासिल कीं: 62547.87 इनमें से 104 छात्रों को आरक्षण के आधार पर प्रवेश दिया गया था, जबकि 17 छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया गया था। उत्तरदाताओं ने शैक्षणिक वर्ष 2019 और 2020-2021 से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद, "आर. टी. आई. अधिनियम") के तहत प्राप्त कुछ आंकड़ों को भी प्रस्तुत किया। जबकि प्रवेश के लिए उपलब्ध कुल सीटें

तमिलनाडु राज्य में वर्ष के लिए स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम 4,193 था, जिसमें 20 प्रतिशत सीटें एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के लिए आरक्षित थीं, जिसमें 960 सीटें थीं, वन्नियार समुदाय के छात्रों ने 515 सीटें हासिल की थीं, जो एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के लिए आरक्षित कुल सीटों का लगभग 57 प्रतिशत है। अंबासांकर रिपोर्ट का हवाला देते हुए, यह

अंबासांकर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 1980 से 1983 तक के वर्षों में राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में राज्य बहुत बेहतर था। एमबीसी और डीएनसी के भीतर अन्य समुदायों के लिए। आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्राप्त वर्ष 2018 से 2020 के लिए अन्ना विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के सदस्यों के विवरण, बेहतर [2022] 19 एस. सी. आर. की तस्वीर चित्रित करते प्रतीत होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एमबीसी और डीएनसी के भीतर अन्य समुदायों से संबंधित अपने हमवतन लोगों पर वन्नियार समुदाय के सदस्यों की पहुंच और प्रतिनिधित्व। हमें बताया गया है कि वन्नियार जाति के 520 विधायक तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुने गए हैं। 1952 2021 तक, प्रत्येक विधानसभा में औसतन लगभग 35 विधायक थे और सदन की संख्या का 15 प्रतिशत था। इसी अवधि में वन्नियार जाति के 90 से अधिक लोग लोकसभा के लिए चुने गए हैं, जो तमिलनाडु से लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या का लगभग 15 प्रतिशत है। वन्निकुला क्षत्रिय के कई व्यक्ति

समुदाय ने केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार में भी मंत्रियों के पद संभाले हैं और उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में भी नियुक्त किया गया है।

अदालत। हमें आगे बताया गया है कि कई न्यास स्थापित किए गए हैं, जो सदस्यों की बेहतरी और विशेष रूप से वन्नियार समुदाय के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

68. हमने इस आंकड़े का उल्लेख केवल इस बात पर जोर देने के लिए किया है कि न्यायमूर्ति थानीकाचलम के पत्र के निष्कर्षों का उचित समर्थन किया जाना चाहिए।

स्वतंत्र अध्ययन और प्रासंगिक आंकड़ों का मूल्यांकन। हम यह स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त अवलोकन राज्य को प्रासंगिक संग्रह के लिए उपयुक्त अभ्यास करने से नहीं रोकते हैं, यदि वह ऐसा करने का निर्णय लेता है।

यह निर्धारित करने के लिए कि पिछड़े वर्गों के भीतर आंतरिक आरक्षण की मांगों को कैसे उचित रूप से संबोधित किया जा सकता है, समकालीन डेटा।

69. न्याय की सिफारिशों पर विचार करना

थानिकाचलम, जो 2021 अधिनियम का आधार है, जिस प्रश्न पर आगे विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या 2021 अधिनियम है

असंवैधानिक, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। 2021 के अधिनियम की प्रस्तावना, वन्नियाकुला क्षत्रियों द्वारा आरक्षण के एक अलग कोटे के लिए इस आधार पर किए गए अभ्यावेदन को संदर्भित करती है कि वे एम. बी. सी. और डी. एन. सी. की सूची में अन्य समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, जिसे पिछड़े वर्गों को संदर्भित किया गया था।

आयोग। प्रस्तावना में आगे पिछड़े वर्ग आयोग (न्यायमूर्ति) के अध्यक्ष द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लेख किया गया है।

थानिकाचलम), जहाँ वन्नीकुला क्षत्रियों के लिए 10.50 प्रतिशत आरक्षण के अलावा वितरण सामाजिक न्याय की सुविधा प्रदान की जाए, दूसरा एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के भीतर समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की गई थी। अध्यक्ष द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करते हुए, पिछड़े वर्ग

आयोग, 1994 के अधिनियम के तहत एम. बी. सी. और डी. एन. सी. को प्रदान किए गए 20 प्रतिशत आरक्षण का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए 2021 का अधिनियम लागू किया गया था।

पटाली मक्कल काठची बनाम। ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

70. कि ऐसी कोई प्रासंगिक, समकालीन सामग्री नहीं है जिसकी पहले पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष द्वारा जांच की गई थी

वन्नियाकुला क्षत्रियों के दावे के समर्थन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में पिछले पैराग्राफ में विस्तार से बताया गया है। क्या राज्य का यह तर्क देना सही है कि 2021 के अधिनियम द्वारा अलग आरक्षण के लिए वन्नियाकुला क्षत्रियों का वर्गीकरण उचित है? अपीलकर्ताओं ने चिरनजीत लाल चौधरी बनाम पर भरोसा किया। भारत संघ "1, से आग्रह करें कि यह धारणा 2021 के अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में है और यह उन लोगों पर है जो यह प्रदर्शित करने के लिए कानून पर हमला करते हैं कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था। इसके अलावा, अजय कुमार सिंह बनाम से समर्थन मांगा गया था। बिहार राज्य 2 का यह तर्क देना कि राज्य यह निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है कि प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष वर्ग के पक्ष में किस प्रकार का विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए, और विधायी निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं ने उपरोक्त प्रस्तुतियों का इस आधार पर विरोध किया कि 2021 अधिनियम के तहत किया गया वर्गीकरण समान रूप से भेदभाव करने के बराबर है। रिलायंस को कर्नल ए. एस. अय्यर बनाम पर रखा गया था। वी. बालासुब्रमण्यम 43 का तर्क है कि वर्गीकरण के लिए कुछ आधार खोजने का एक चिंतित और निरंतर प्रयास समानता वितरण के अनुच्छेद 14 से वंचित कर देगा। वन्नियाकुला क्षत्रियों के साथ अलग व्यवहार करने के लिए किसी भी तर्क के अभाव में, प्रतिशत का भेदभाव और आवंटन पूरी तरह से मनमाना था और अनुच्छेद 14 के खिलाफ है।

71. एक ही स्थिति में सभी पर समान कानून लागू करने होंगे और एक व्यक्ति और दूसरे के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

जहाँ तक विधान की विषय वस्तु का संबंध है, उनकी स्थिति काफी हद तक समान है। इससे वर्गीकरण का सवाल खड़ा होता है। चूँकि समान संरक्षण नियम का कोई उल्लंघन नहीं है, यदि कानून सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करता है

वर्गीकरण किया जाता है और बिना किसी उचित आधार के किए गए वर्गीकरण को अमान्य माना जाना चाहिए। वर्गीकरण का पूरा सिद्धांत 41 1950 एससीआर 869

42 (1994) 4 एस. सी. सी. 401 43 (1980) 1 एस. सी. सी. 634 44 पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार 1952 एससीआर 284 [2022] 19 एससीआर

बिना कारण के भेदभाव और तर्क के साथ भेदभाव और इस सर्वविदित तथ्य पर आधारित है कि जो परिस्थितियाँ व्यक्तियों या वस्तुओं के एक समूह को नियंत्रित करती हैं, वे आवश्यक रूप से उनके समान नहीं हो सकती हैं। व्यक्तियों या वस्तुओं के एक अन्य समूह को नियंत्रित करना ताकि असमान व्यवहार का सवाल वास्तव में विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों के विभिन्न समूहों द्वारा शासित व्यक्तियों के बीच उत्पन्न न हो।

72. भेदभाव वर्गीकरण का सार है। समानता है

यदि यह अनुचित आधार पर होता है तो इसका उल्लंघन किया जाता है। समानता की अवधारणा है

संवैधानिक गारंटी की प्रकृति से उत्पन्न होने वाली अंतर्निहित सीमा। जिन लोगों की परिस्थितियाँ समान हैं, वे एक के हकदार हैं

पीछे की ओर। अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) पिछड़े वर्गों की स्थिति को समानता के योग्य बनाते हैं। पिछड़े वर्गों की उन्नति और उनके लिए नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। इन प्रावधानों को लाने का इरादा है अनुच्छेद 14,15 (1) और 16 (1) द्वारा गारंटीकृत समानता की सामग्री। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत समानता की सामग्री अनुच्छेद 1446 के तहत समानता से अलग नहीं हो सकती है। भेद जो वर्गीकरण का आधार है, सही होना चाहिए और इसका विधान के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए। यदि उद्देश्य स्वयं भेदभावपूर्ण है, तो यह स्पष्टीकरण कि वर्गीकरण प्राप्त करने के लिए वांछित उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध रखने के लिए उचित है, अप्रासंगिक है।

73. जैसा कि ऊपर कहा गया है, 2021 के अधिनियम का उद्देश्य एम. बी. सी. और डी. एन. सी. को प्रदान किए गए 20 प्रतिशत आरक्षण के लाभ का समान वितरण प्राप्त करना है। दोहराव की कीमत पर, 2021 के अधिनियम के अधिनियमन के समय, एम. बी. सी. और डी. एन. सी. की संचयी सूचियों में 116 जातियां पाई जानी थीं। एक विशेष जाति का चयन करना और ऐसी जाति के लिए 20 प्रतिशत में से 10.5 प्रतिशत का विशेष आरक्षण प्रदान करना भेदभावपूर्ण है, क्योंकि उन समुदायों से कोई ठोस भेदभाव नहीं है जो समान रूप से स्थित हैं और इसलिए, समूहीकृत थे। 45 काठी रानिंग रावत बनाम। सौराष्ट्र राज्य 1952 एस. सी. आर. 435 46 केरल राज्य बनाम। एन. एम. थॉमस (1976) 2 एस. सी. सी. 310 47 सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (2014) 8 एस. सी. सी. 682 पटाली मक्कल काठची बनाम।

ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए। जबकि राज्य सरकार के पास वन्नियाकुला क्षत्रिय या किसी अन्य समुदाय या समूह को वर्गीकृत करने की क्षमता है।

पिछड़े वर्गों के भीतर के समुदायों को विशेष उपायों के अनुदान के लिए एक विशेष वर्ग के रूप में, ऐसे समुदायों को एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के भीतर बाकी समुदायों से अलग वर्ग में वर्गीकृत करने के लिए एक उचित आधार होना चाहिए, जो कि सतही या भ्रामक नहीं हो सकता है। 74. राज्य की ओर से औचित्य यह है कि तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई थी

यह दर्शाता है कि वन्नियाकुला क्षत्रियों की जनसंख्या के अनुपात में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व था, जिससे 2021 के अधिनियम में परिणत हुआ, जिसका उद्देश्य दोनों के बीच आरक्षण का समान वितरण प्राप्त करना था।

एमबीसी और डीएनसी। पहले के अनुच्छेदों में चर्चा के अवलोकन से पता चलता है कि अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का पत्र बिना किसी मूल्यांकन के पुराने आंकड़ों के आधार पर है

वन्नियाकुला क्षत्रियों के सापेक्ष पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व और एमबीसी और डीएनसी के भीतर शेष 115 समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता। इसके अलावा, इसमें सिफारिशें पूरी तरह से जनसंख्या पर आधारित हैं। किसी विशेष वर्ग/श्रेणी को दूसरों से अलग करने के लिए, एक महत्वपूर्ण अंतर होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से

उस वर्ग/श्रेणी का सीमांकन करता है। तत्काल मामले में, हम कोई औचित्य नहीं देखते हैं

वानियाकुला क्षत्रियों को एक अलग वर्ग के रूप में कैसे माना जा सकता है और 116 समुदायों में से एक होने के नाते उनके साथ तरजीही व्यवहार किया जा सकता है, जिन्हें 2021 के अधिनियम के अधिनियमन तक एक ही आधार पर माना गया है और इसलिए वे अविभाजित 20 प्रतिशत आरक्षण के लाभ का दावा करने के पात्र थे। जनसंख्या को उद्धृत किया जा रहा है इस वर्गीकरण का समर्थन करने वाला एकमात्र कारक इंद्र साहनी (ऊपर) और जरनैल सिंह (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णयों में है।

तदनुसार, हमारा मानना है कि 2021 अधिनियम के तहत किया जाने वाला वर्गीकरण अनुचित है और इसलिए, 2021 अधिनियम अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन करता है, क्योंकि वन्नियाकुला क्षत्रियों में अंतर करने और उन्हें अलग आरक्षण देने का कोई ठोस आधार नहीं है।

VI. अनुच्छेद 338-बी (9) का गैर-अनुपालन

संविधान

75. श्री शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि आंतरिक प्रदान करना

आरक्षण एक प्रमुख नीतिगत मामला है, जिसे राज्य द्वारा केवल [2022] 19 एस. सी. आर. के लिए राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से ही किया जाना चाहिए था।

पिछड़े वर्ग। चूंकि, यह माना जा सकता है कि कोई परामर्श नहीं हुआ था, 2021 का अधिनियम अमान्य है। अनुच्छेद 338-बी (9) में प्रावधान है कि संघ और राज्य सरकार सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगे।

एस. ई. बी. सी. को प्रभावित करता है। 105 वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक परंतुक जोड़ा गया था, जिसके द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया था कि अनुच्छेद 338-बी का खंड (9) राज्यों द्वारा तैयार और बनाए रखी जाने वाली एस. ई. बी. सी. की सूचियों पर लागू नहीं होगा। हालाँकि, 2021 का अधिनियम 105 वें संशोधन अधिनियम से पहले लागू किया गया था। यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि 105 वां संशोधन अधिनियम अपने संचालन में संभावित था, यह आवश्यक रूप से इस प्रकार है कि राज्य को 105 वें संशोधन अधिनियम से पहले प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करना आवश्यक था। एक प्रमुख नीतिगत निर्णय के रूप में योग्यता प्राप्त एक विशिष्ट समुदाय को प्रदान किए जा रहे आंतरिक आरक्षण के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है। जिस बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए वह राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श न करने का परिणाम है। आंतरिक आरक्षण प्रदान करने से पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। प्रावधान की भाषा और इसकी व्याख्या को देखते हुए

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (ऊपर), अनुच्छेद 338-बी (9) के अनिवार्य होने के बारे में विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। एक विशेषज्ञ संवैधानिक निकाय के साथ परामर्श की आवश्यकता वास्तव में अनिवार्य है और प्रावधान की अवहेलना करना घातक होगा। हालांकि, राष्ट्रीय आयोग के साथ राज्य सरकार द्वारा परामर्श न करने से 2021 अधिनियम को लागू करने की राज्य सरकार की क्षमता नहीं जाएगी। विधायी क्षमता को केवल संविधान में निहित स्पष्ट निषेध द्वारा सीमित किया जा सकता है 48 और अनुच्छेद 338-बी (9) राज्य को एक प्रमुख नीति को आगे बढ़ाने के लिए कानून बनाने से नहीं रोकता है।

मामला लेकिन यह बताता है कि राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी

ऐसे मामलों में।

76. एक अनिवार्य परामर्श प्रावधान की अवहेलना का परिणाम आम तौर पर कानून को अमान्य कर देगा क्योंकि यह एक विशेषज्ञ संवैधानिक निकाय से परामर्श करने की अनिवार्य आवश्यकता का उल्लंघन है। हालाँकि, हम अपने पहले के निष्कर्ष को देखते हुए इस मुद्दे पर जाने से बचते हैं कि 2021 का अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 के तहत जांच का सामना नहीं करता है।

VII. निष्कर्ष

77. निष्कर्ष निकालने के लिए, हमारा मानना है कि 2021 के अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य की विधायी क्षमता पर कोई रोक नहीं है।

इस मुद्दे के संबंध में आग्रह किए गए आधारों पर, हमारा विचार है किः

48 एम. पी. सीमेंट विनिर्माता संघ बनाम एम. पी. राज्य (2004) 2 एस. सी. सी. 249 मक्कल काठची बनाम।

ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

105 वां संशोधन अधिनियम लागू होने की संभावना है,

यह 102 वां संशोधन अधिनियम है जो 2021 के अधिनियम के अधिनियमन के समय लागू हुआ था। जैसा कि 2021 का अधिनियम उप-वर्गीकरण और आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से आरक्षण के कुछ प्रतिशत के विभाजन से संबंधित था

एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के भीतर समुदाय, यह अनुमेय है डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 342-ए के तहत राज्य सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग। 105 वें संशोधन अधिनियम से पहले, अनुच्छेद 342-ए के तहत राज्य के लिए एस. ई. बी. सी. की पहचान करना निषिद्ध था।

एस. ई. बी. सी. की राष्ट्रपति की सूची में समुदायों को शामिल या बहिष्कृत करके। यह स्पष्ट है कि 1994 के अधिनियम के अनुसार राज्य द्वारा एम. बी. सी. और डी. एन. सी. की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी।

पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण पर कोई रोक नहीं है, जिसे इंद्र में स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया गया है।

साहनी (ऊपर)। ई. वी. चिन्नैया (उपरोक्त) के फैसले पर विचार करते हुए भी, जो अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति की सूची में चिन्हित अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से संबंधित है और यह अभिनिर्धारित करता है कि राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों का कोई भी उप-विभाजन राष्ट्रपति की सूची के साथ छेड़छाड़ करने के बराबर होगा, वर्तमान मामले में 2021 अधिनियम को लागू करने की राज्य की क्षमता को इस आधार पर नहीं लिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए, एस. ई. बी. सी. की राष्ट्रपति की सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, जिससे इस तरह की सूची के साथ छेड़छाड़ करने का सवाल बनता है।

पहले से ही एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के रूप में पहचाने गए समुदायों के लिए आरक्षण की सीमा का विवरण, जिस पर जोर दिया जाता है 2021 अधिनियम को 1994 अधिनियम, [2022] 19 एस. सी. आर. के साथ टकराव में नहीं कहा जा सकता है।

विभिन्न के लिए आरक्षण की सीमा के निर्धारण के रूप में समुदाय 1994 के अधिनियम का विषय नहीं था।

(vi) 1994 का अधिनियम, अनुच्छेद 31-सी के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, राज्य विधानमंडल को 1994 के अधिनियम के सहायक मामलों पर राज्यपाल की मंजूरी से कानून बनाने से नहीं रोकता है, जैसा कि अनुच्छेद 31-सी करता है।

राज्य की विधायी शक्तियों पर कोई बंधन न लगाएं। राज्य को आंतरिक आरक्षण देने वाले कानून के लिए राष्ट्रपति की सहमति लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जब उसे अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत कानून के साथ-साथ कार्यकारी आदेशों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और अन्य विशेष उपाय प्रदान करने का अधिकार है। संविधान।

जाति-आधारित वर्गीकरण के मुद्दे पर, इंद्र साहनी (ऊपर)

सटीक और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जाति पिछड़े वर्गों की पहचान करने का प्रारंभिक बिंदु हो सकती है, लेकिन यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। तदनुसार, जबकि आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए जाति प्रारंभिक बिंदु हो सकती है, यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह निर्णय की तर्कसंगतता को सही ठहराए और यह प्रदर्शित करे कि जाति एकमात्र आधार नहीं है। तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति थानिकाचलम के पत्र के संबंध में, जो 2021 के अधिनियम का आधार है, हम पाते हैं कि सरकार ने निम्नलिखित कारणों से उसमें की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में त्रुटि की हैः

सिफारिशें रिपोर्ट के आधार पर की गई हैं

((i)

जनार्थनम आयोग के अध्यक्ष, जिन्होंने प्राचीन आंकड़ों पर भरोसा किया था, और न्यायमूर्ति थानिकाचलम की ओर से इस मामले को तुरंत खारिज करने में स्पष्ट चूक है। जनार्थनम आयोग के बहुसंख्यक सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की, जिन्होंने कहा था कि अद्यतन जाति-वार आंकड़ों के अभाव में, आंतरिक आरक्षण पर सिफारिशें सार्थक रूप से नहीं की जा सकती थीं।

((ii) अध्यक्ष की रिपोर्ट को मंजूरी देने के अलावा

वन्नियाकुला क्षत्रियों के लिए आरक्षण और निर्माण आरक्षण के विशिष्ट प्रतिशत के लिए शेष समुदायों के समूह पर अतिरिक्त सिफारिशें, न्यायमूर्ति थानीकाचलम के पत्र में सापेक्ष पिछड़ेपन के किसी भी विश्लेषण या मूल्यांकन का उल्लेख नहीं किया गया है और पट्टाली मक्कल कच्छी बनाम।

ए. माइलरंपेरुमल और ओआरएस। [एल. नागेश्वर राव, जे.]

डी. एन. सी. जनसंख्या को सिफारिश करने का एकमात्र आधार बनाया गया है।

(iii)

वन्नियाकुला क्षत्रियों के लिए आंतरिक आरक्षण, जो सीधे इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के दायरे में है।

अंत में, 2021 के अधिनियम पर, हमारी राय है कि वन्नियाकुला क्षत्रियों को एक समूह में वर्गीकृत करने का कोई ठोस आधार नहीं है

एम. बी. सी. और डी. एन. सी. के भीतर शेष 115 समुदायों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए, और इसलिए, 2021 अधिनियम अनुच्छेद 14,15 और 16 का उल्लंघन है। हम इस पहलू पर उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हैं। 2021 के अधिनियम के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 के अधिकार से बाहर होने के हमारे निष्कर्ष को देखते हुए, हमने राज्य सरकार द्वारा अनुपालन न करने के मुद्दे पर विचार करने से परहेज किया है।

2021 अधिनियम के अधिनियमन के समय अनुच्छेद 338-बी के खंड (9) के तहत निर्धारित परामर्श आवश्यकता।

78. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने कोई राय व्यक्त नहीं की है

1994 के अधिनियम को चुनौती देने वाली रिट याचिका के गुण-दोष, इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन, या उस मामले के लिए, किसी को चुनौती देना

अन्य कानून जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है और हमारे निष्कर्ष सख्ती से उन मुद्दों तक ही सीमित हैं जो हमारे सामने आए हैं। 2021 अधिनियम के संबंध में विचार।

79. अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपी लों का निपटारा किया गया।

(सहायकः इराम जान, एलसीआरए)